

# भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908

## धाराओं का क्रम

### धाराएं

#### अध्याय 1

#### प्रारंभिक

1. नाम और विस्तार ।
2. व्यावृत्तियां ।
3. परिभाषाएं ।

#### अध्याय 2

#### सरकार की शक्तियां

4. अधिनियम को या उसके कतिपय भागों को विस्तारित करने या प्रत्याहृत करने की शक्ति ।
5. पत्तनों की सीमाओं में परिवर्तन ।
6. पत्तन-नियम बनाने की शक्ति ।

#### अध्याय 3

#### पत्तन अधिकारी और उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य

7. संरक्षक की नियुक्ति ।
8. कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निदेश देने तथा उन्हें प्रवर्तित करने की संरक्षक की शक्ति ।
9. गूनों और रस्सियों को काटने की शक्ति ।
10. पत्तन की सीमाओं के भीतर से बाधाओं को हटाना ।
11. हटाने के व्ययों की वसूली ।
12. विधिपूर्ण बाधाओं का हटाया जाना ।
13. सरकारी लंगर स्थान को कलुषित करना ।
14. पत्तन की सीमाओं के भीतर नौवहन में अड़चन डालने वाले ध्वस्त मलवे को उठाना या हटाना ।
15. जलयानों पर चढ़ने और भवनों में प्रवेश करने की शक्ति ।
16. कर्मियों से आग को रोकने या बुझाने की अपेक्षा करने की शक्ति ।
17. स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति और उसकी शक्तियां ।
18. पत्तन अधिकारी या पाइलट के कार्य या व्यतिक्रम के लिए सरकार की क्षतिपूर्ति ।

#### अध्याय 4

#### पोत परिवहन की सुरक्षा और पत्तनों के संरक्षण के लिए नियम

#### साधारण नियम

19. बोटों, ब्रीकनों और मूरिंगों को क्षति पहुंचाना ।
20. मूरिंगों से जानबूझकर जलयान को खोल देना ।
21. अनुचित प्रकार से स्थिरक भार का डाला जाना ।

**धाराएं**

22. प्रतिषिद्ध सीमाओं के भीतर जलयान के पेंदे का साफ करके कोलतार पोतना ।
23. प्रतिषिद्ध सीमाओं के भीतर जलयान के फलक पर निराल उबालना ।
24. असंरक्षित कृत्रिम प्रकाश में आसव निकालना ।
25. गून बांधना ।
26. सूर्यास्त के पश्चात् गून या हाजर को छोड़ देना ।
27. पत्तन में अग्न्यायुद्ध चलाना ।
28. आग बुझाने का आदेश देने में लोप के लिए मास्टर पर शास्ति ।
29. खोए हुए भंडारों की अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा खोज ।
30. पत्थरों को हटाने या पत्तन के किनारों को क्षति पहुंचाने का प्रतिषेध ।

**विशेष नियम**

31. पाइलट के बिना या बंदरगाह मास्टर की अनुज्ञा के बिना जलयानों को चलाना ।
32. कतिपय जलयानों पर आग बुझाने वाले साधित्रों की व्यवस्था ।

**अध्याय 5****पत्तन-शुल्क, फीस और अन्य प्रभार**

33. पत्तन-शुल्क का उद्ग्रहण ।
34. सरकार द्वारा पत्तन-शुल्क में फेरफार ।
35. यान मार्गदर्शन और कतिपय अन्य सेवाओं के लिए फीसों ।
36. पत्तन प्रभारों की प्राप्ति, व्यय और लेखा ।
37. पत्तनों का समूहीकरण ।
38. पत्तन प्रभारों की प्राप्ति ।
39. मास्टर द्वारा पहुंच की रिपोर्ट देना ।
40. संरक्षक द्वारा कतिपय दशाओं में डुबाव अभिनिश्चित करना और मास्टर पर उसके व्यय प्रभारित करना ।
41. पत्तन-शुल्क के दायित्वाधीन जलयानों के टन-भार का अभिनिश्चय ।
42. पत्तन प्रभारों के संदाय से इंकार करने पर करस्थम् और विक्रय ।
43. पत्तन प्रभारों का संदाय न होने तक पत्तन से निकासी की अनुमति न देना ।
44. पत्तन में संदेय पत्तन प्रभारों का किसी अन्य पत्तन में वसूलीय होना ।
45. पत्तन प्रभारों के संदाय के अपवंचन के लिए शास्ति ।
46. भार से लदे जलयानों पर पत्तन-शुल्क ।
47. स्थोरा न उतारने वाले या न लेने वाले जलयानों पर पत्तन-शुल्क ।
48. कतिपय दशाओं में पत्तन-शुल्क का प्रभारित न किया जाना ।
49. अस्पताल पत्तन-शुल्क अधिरोपित करने की शक्ति ।
50. अस्पताल पत्तन-शुल्कों का उपयोजन और लेखा ।

**अध्याय 6****संकेत फहराना**

51. मास्टर द्वारा यान के संख्यांक का फहराया जाना ।
52. पाइलट द्वारा मास्टर से संख्यांक फहराने की अपेक्षा करना ।

**धाराएं**

53. पाइलट द्वारा अवज्ञा की दशा में शास्ति ।

**अध्याय 7****शास्तियों की बाबत उपबंध**

54. सरकार के नियमों और आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति ।  
 55. अपराधों के विचारण तथा शास्तियों की वसूली की रीति ।  
 56. दोषसिद्ध के खर्चे ।  
 57. इस अधिनियम के अधीन संदेय व्ययों और नुकसानियों का अधिनिश्चय और वसूली ।  
 58. करस्थम् के खर्चे ।  
 59. उद्गृहीत की जाने वाली रकम के विवाद की दशा में मजिस्ट्रेट द्वारा उसका अवधारण ।  
 60. अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के परे अपराधों पर अधिकारिता ।  
 61. दोषसिद्धि का केवल गुणावगुण के आधार पर मंसूख किया जाना ।

**अध्याय 8****अनुपूरक उपबंध**

62. पत्तन में विधिविरुद्ध ध्वजा फहराना ।  
 63. विदेशी अभित्याजक ।  
 64. धारा 10 और धारा 21 का लागू होना ।  
 65. नाविक संस्थानों के लिए स्थानों की मंजूरी ।  
 66. संरक्षक की शक्तियों का उसके सहायकों द्वारा प्रयोग ।  
 67. निदेशों की लिखित सूचनाओं की तामील ।  
 68. सरकार के आदेशों का प्रकाशन ।  
 68क. पत्तनों में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों द्वारा पत्तन की रक्षा के लिए चालें चलने में सहयोग देना ।  
 68ख. आपात में उक्त प्राधिकारियों के कर्तव्य ।  
 68ग. अधिनियम के कतिपय उपबंधों का वायुयानों को लागू होना ।  
 68घ. समुद्रीय सुरक्षा ।  
 69. [निरसित ।]

प्रथम अनुसूची—पत्तन, प्रभार्य जलयान, पत्तन शुल्कों की दर और संदायों की आवृत्ति ।

द्वितीय अनुसूची—[निरसित ।]

# भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908<sup>1</sup>

(1908 का अधिनियम संख्यांक 15)

[18 दिसम्बर, 1908]

पत्तनों और पत्तन-प्रभागों से सम्बन्धित अधिनियमितियों को  
समेकित करने के लिए  
अधिनियम

पत्तनों और पत्तन-प्रभागों से संबंधित अधिनियमितियों को समेकित करना समीचीन है, अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

1. नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का नाम भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 है।

(2) सिवाय वहां के जहां इसके विषय या संदर्भ से अन्यथा प्रतीत हो, इसका विस्तार निम्नलिखित पर होगा, अर्थात्:—

(क) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित पत्तन तथा ऐसी नाव्य नदियों और जल सरणियों के भाग जो ऐसे पत्तनों की ओर जाती हैं जो 1855 के अधिनियम सं० 22 (पत्तनों और पत्तन-शुल्कों के विनियमन के लिए) या भारतीय पत्तन अधिनियम, 1875 (1875 का 12) या भारतीय पत्तन अधिनियम, 1889 (1889 का 10) के अधीन घोषित किए गए हैं;

(ख) ऐसे अन्य पत्तन या नाव्य नदियों या जल सरणियों के भाग जिन पर <sup>2</sup>[सरकार], इसमें इसके पश्चात् प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करे हुए, इस अधिनियम का विस्तार करे।

(3) किन्तु धारा 31 या धारा 32 की कोई बात किसी ऐसे पत्तन, नदी या जलसरणी को लागू नहीं होगी जिस पर <sup>2</sup>[सरकार] द्वारा इस अधिनियम का विस्तार विनिर्दिष्ट रूप से नहीं किया गया है।

2. व्यावृत्तियां—इस अधिनियम की कोई बात—

(i) <sup>3</sup>[केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार] <sup>4</sup>\*\*\*\* के अथवा उसकी सेवा में रत किसी जलयान को या किसी विदेशी राजा या राज्य के किसी युद्ध जलयान को लागू नहीं होगी, अथवा

(ii) किसी व्यक्ति को संपत्ति के किसी अधिकार या अन्य प्राइवेट अधिकार से, इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्टतः उपबंधित के सिवाय, वंचित नहीं करेगा, अथवा

(iii) रूढियों से संबंधित किसी विधि या नियम पर, या उसके अनुसरण में किए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निदेश पर, प्रभाव नहीं डालेगा।

3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,—

<sup>5</sup>[(1) “मजिस्ट्रेट” से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;]

(2) जब “मास्टर” शब्द का प्रयोग <sup>6</sup>[किसी पत्तन को उपयोग में लाने वाले किसी] जलयान <sup>6</sup>[या वायुयान] के संबंध में किया जाए तब उससे, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा कोई व्यक्ति (पाइलट

<sup>1</sup> प्रवर समिति की रिपोर्ट के लिए देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1908, भाग 5, पृ० 359 और परिपद में कार्यवाहियों के लिए देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1908, भाग 6, पृष्ठ 146, 154 और 182।

इस अधिनियम को कोचीन पत्तन को लागू होने में कोचिन पोर्ट ऐक्ट, 1936 (1936 का 6) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अनुपूरित किया गया है। 1968 के आन्ध्र प्रदेश अधिनियम सं० 18 द्वारा आंध्र प्रदेश में; 1969 के पांडिचेरी अधिनियम सं० 10 द्वारा पांडिचेरी में और 1975 के तमिलनाडु अधिनियम सं० 19 द्वारा तमिलनाडु में यह अधिनियम संशोधित किया गया।

यह अधिनियम 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी पर; 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) सम्पूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर और 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा संशोधित रूप से गोवा, दमण और दीव पर विस्तारित किया गया।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हिज मेजस्टी” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “अथवा भारत सरकार” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>5</sup> 1997 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा (9-1-1997 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>6</sup> 1951 के अधिनियम सं० 35 की धारा 188 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>1</sup>[या पत्तन] के बंदरगाह मास्टर के सिवाय) अभिप्रेत है या तत्समय, <sup>1</sup>[यथास्थिति], उस जलयान <sup>1</sup>[या वायुयान] का भारसाधक है या उस पर नियंत्रण रखता है;

(3) “पाइलट” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो जलयान को चलाने के लिए <sup>2</sup>[सरकार] द्वारा तत्समय प्राधिकृत किया गया है;

(4) “पत्तन” के अन्तर्गत नदी या जलसरणी का कोई ऐसा भाग भी है जिस पर यह अधिनियम तत्समय लागू है;

(5) “पत्तन अधिकारी” और मास्टर-परिचर तत्सम हैं;

<sup>3</sup>[(6) “टन” से पोतों के सकल टन भार के माप को विनियमित करने के लिए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 74 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अवधारित या अवधार्य टन अभिप्रेत है;]

(7) “जलयान” के अन्तर्गत मनुष्यों या संपत्ति का <sup>1</sup>[मुख्यतया] जलमार्ग से प्रवहण करने के लिए बनाई गई कोई वस्तु है;

<sup>4</sup>[(8) “महापत्तन” से कोई ऐसा पत्तन अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा महापत्तन घोषित करे या जो तत्समय लागू किसी विधि के अधीन महापत्तन घोषित किया गया है; <sup>5</sup>[और]

(9) जहां तक महापत्तनों का संबंध है, सभी प्रयोजनों के लिए और जहां तक अन्य पत्तनों का संबंध है, धारा 6(1) के खण्ड (त) के अधीन नियम बनाने तथा धारा 17 के अधीन पत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए, “सरकार” से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है, तथा पूर्वोक्त के सिवाय, राज्य सरकार अभिप्रेत है।]

\*<sup>6</sup>

\*

\*

\*

## अध्याय 2

### <sup>2</sup>[सरकार] की शक्तियां

4. अधिनियम को या उसके कतिपय भागों को विस्तारित करने या प्रत्याहृत करने की शक्ति—(1) <sup>7</sup>\*\*\*\* <sup>2</sup>[सरकार], राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) इस अधिनियम का विस्तार किसी ऐसे पत्तन\* पर कर सकेगी जिस पर यह अधिनियम लागू नहीं है या किसी नाव्य नदी या जलसरणी के किसी ऐसे भाग पर कर सकेगी जो ऐसे पत्तन की ओर जाती है और जिस पर यह अधिनियम लागू नहीं है;

(ख) धारा 31 या धारा 32 के उपबन्धों का किसी ऐसे पत्तन पर विशेष रूप से विस्तार कर सकेगी जिस पर उनका ऐसे विस्तार नहीं किया गया है;

(ग) इस अधिनियम को या धारा 31 या धारा 32 को किसी ऐसे पत्तन या उसके किसी भाग से प्रत्याहृत कर सकेगी जिस पर यह अधिनियम या उक्त धाराएं तत्समय लागू हैं।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन अधिसूचना में उस क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित की जाएंगी जिसके प्रति उसमें निर्देश हैं।

(3) उपधारा (2) के अधीन परिनिश्चित सीमाओं के अन्तर्गत कोई पोतघाट, जटी, उतराई स्थान, घाट, घट्टी, गोदी और यातायात की सुविधा के लिए, जलयानों की सुरक्षा के लिए, या पत्तन और उसके पहुंच भागों के सुधार, अनुरक्षण या सुप्रशासन के लिए कोई अन्य संकर्म, चाहे वे उच्चतम ज्वार चिह्न के भीतर हों या बाहर, तथा उच्चतम ज्वार चिह्न के पचास गज के भीतर तक या किनारे या कोई भाग, उसमें प्राइवेट सम्पत्ति संबंधी किन्हीं अधिकारों के अधीन रहते हुए, भी हैं।

(4) उपधारा (3) में “उच्चतम ज्वार चिह्न” पद से वह उच्चतम चिह्न अभिप्रेत है जहां तक वर्ष के किसी भी मौसम में सामान्य वृहत् ज्वार पहुंच जाता है।

5. पत्तनों की सीमाओं में परिवर्तन—(1) <sup>2</sup>[सरकार] <sup>8</sup>\*\*\*\* प्राइवेट संपत्ति संबंधी किन्हीं अधिकारों के अधीन रहते हुए ऐसे किसी पत्तन की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है जिस पर यह अधिनियम लागू है।

<sup>1</sup> 1951 के अधिनियम सं० 35 की धारा 188 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1992 के अधिनियम सं० 23 की धारा 2 द्वारा (24-1-1994 से) खंड (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>5</sup> 1992 के अधिनियम सं० 23 की धारा 2 द्वारा (24-1-1994 से) अंतःस्थापित।

<sup>6</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा खंड (10) अंतःस्थापित किया गया था जिसका 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लोप किया गया।

<sup>7</sup> 1916 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

<sup>8</sup> 1916 के अधिनियम सं० 6 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

\* मार्मोगाव पत्तन पर विस्तारित देखिए सा० का० नि० 1831, ता० 16-11-1963.

1[स्पष्टीकरण—संदेहों के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा द्वारा सरकार को प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत किसी एक पत्तन के साथ किसी अन्य पत्तन को या किसी अन्य पत्तन के किसी भाग को जोड़कर पत्तन की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति भी है।]

(2) जब भी 2[सरकार] किसी पत्तन की सीमाओं में उपधारा (1) के अधीन परिवर्तन करे, तब वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा किसी ऐसे अन्य साधन द्वारा भी, जिसे वह ठीक समझे, ऐसी सीमाओं का प्रमित विस्तार घोषित करेगी या उनका वर्णन करेगी।

**6. पत्तन-नियम बनाने की शक्ति—**(1) ऐसे किन्हीं नियमों के अतिरिक्त जिन्हें 2[सरकार] तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के अधीन रहते हुए बना सकेगी, सरकार, इस अधिनियम से सुसंगत ऐसे नियम बना सकेगी जो निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए वह आवश्यक समझे, अर्थात्:—

(क) उस अवधि और समय को, जब और जिसके दौरान, उस गति को, जिससे और उस रीति को, जिसमें तथा उन शर्तों को विनियमित करने के लिए जिन पर साधारणतया सभी जलयान या नियमों में परिभाषित किसी वर्ग के जलयान इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में प्रवेश कर सकेंगे उसे छोड़ सकेंगे या वहां ले जाए जा सकेंगे;

(ख) किसी ऐसे पत्तन में जलयानों के लिए, बर्थों, स्थानों और लंगर स्थानों को विनियमित करने के लिए;

(ग) किसी ऐसे पत्तन में जलयानों के पालदण्डों और मस्तूलों को गिराने तथा उनकी पालबल्लियों और पालदण्डों को वांछित दिशा में घुमाने के लिए, और ऐसे यानों से बाहर की ओर निकले हुए डेबिटों, नौकाओं और अन्य वस्तुओं को झुकाने या वापस खींचने के लिए;

(घ) किसी ऐसे पत्तन में जलयानों में या उनसे संलग्न लंगरों, बल्लियों और अन्य वस्तुओं को हटाने या समुचित रूप से लटकाने या रखने के लिए;

(ङ) किसी ऐसे पत्तन में जलयानों को तब विनियमित करने के लिए जब वे यात्रियों, स्थिरक भार या स्थोरा अथवा किसी विशेष प्रकार के स्थोरा की लदाई या उतराई कर रहे हों;

<sup>3</sup>[(ङङ) उस रीति को विनियमित करने के लिए जिसमें तेल मिश्रित जल किसी ऐसे पत्तन में विसर्जित किया जाएगा तथा उसके व्ययन के लिए;]

<sup>4</sup>[(ङङङ) किसी ऐसे पत्तन में जलयानों में तरल ईंधन की भराई को विनियमित करने के लिए और ऐसी भराई में प्रयोग में लाए जाने वाले बजरो, पाईप लाइनों या यानों का विवरण;]

(च) किसी ऐसे पत्तन के भीतर और पोतघाटों, जेटियों, उतराई स्थानों, घाटों, घट्टियों, गोदियों, मूरिंग स्थानों और उनमें के या उनसे लगे हुए अन्य संकर्मों के साथ या निकट, उतनी चौड़ाई वाले निर्बाध मार्ग रखने के लिए, जैसे आवश्यक समझे जाएं, तथा इस प्रकार निर्बाध रखे जाने वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए;

(छ) किसी ऐसे पत्तन में जलयानों का लंगर डालना, कसाव, मूरिंग करना और मूरिंग खोलना विनियमित करने के लिए;

(ज) किसी ऐसे पत्तन के भीतर सब जलयानों का हटाया जाना और रस्सों से खींचा जाना तथा उनमें रस्सों के प्रयोग को विनियमित करने के लिए;

(झ) किसी ऐसे पत्तन में मूरिंग-बोयों, जंजीरों और अन्य मूरिंगों के प्रयोग को विनियमित करने के लिए;

(ञ) ऐसे मूरिंगों का, तब जब वे 5[सरकार] की हों, या 6[सरकार] की किसी नौका, हाजर या अन्य वस्तु का प्रयोग करने के लिए 6[किसी महापत्तन से भिन्न किसी पत्तन पर] संदत्त की जाने वाली दरों को नियत करने के लिए;

<sup>7</sup>[(जज) ऐसे पोतघाटों, जेटियों, उतराई स्थानों, घाटों, घट्टियों, भांडागारों और शेडों के, जब वे सरकार के हों, प्रयोग को विनियमित करने के लिए;

(जजक) किसी महापत्तन से भिन्न किसी पत्तन के ऐसे पोतघाटों, जेटियों, उतराई स्थानों, घाटों, घट्टियों, भांडागारों और शेडों के जब वे सरकार के हों, प्रयोग के लिए संदत्त की जानी वाली दरों को नियत करने के लिए;

<sup>1</sup> 1978 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1923 के अधिनियम सं० 39 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 1925 के अधिनियम सं० 9 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>5</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "क्राउन" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया जिसे भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।

<sup>6</sup> 1997 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 द्वारा (9-1-1997 से) अंतःस्थापित।

<sup>7</sup> 1997 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 द्वारा (9-1-1997 से) खंड (जज) और खंड (ट) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ट) किसी ऐसे पत्तन में, या भागतः उसके भीतर और भागतः उसके बाहर, चाहे नियमित रूप से या केवल यदाकदा, किराए पर चलने वाली दो नावों और चाहे किराए पर चलने वाली या बिना किराए के चलने वाली पटेला, और स्थोरा नौकाओं, यात्री नौकाओं और अन्य नौकाओं के अनुज्ञापन और विनियमन के लिए, तथा किन्हीं ऐसे जलयानों के कर्मीदलों के अनुज्ञापन और विनियमन के लिए और किन्हीं ऐसे जलयानों द्वारा वहन किए जाने स्थोरा की मात्रा या यात्रियों की अथवा कर्मीदल की संख्या का तथा उन शर्तों का अवधारण करने के लिए जिनके अधीन ऐसे जलयान किराए पर चलने के लिए बाध्य होंगे और इसके अतिरिक्त उन शर्तों के लिए, जिनके अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्रतिसंहत की जा सकती है;

(टट) किसी महापत्तन से भिन्न किसी पत्तन के लिए खंड (ट) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत संदेय फीस का उपबंध करने के लिए;]

(ठ) किसी ऐसे पत्तन के भीतर अग्नि और प्रकाश के प्रयोग को विनियमित करने के लिए;

(ड) किसी ऐसे पत्तन में दिन या रात में जलयानों द्वारा संकेतों या संकेत प्रकाशों के प्रयोग को प्रवर्तित और विनियमित करने के लिए;

(ढ) कर्मीदल की उस संख्या को विनियमित करने के लिए जो किसी जलयान के किसी ऐसे पत्तन की सीमाओं के भीतर जल में होने पर उसके फलक पर होनी चाहिए;

(ण) जलयानों की सफाई या रंगाई में लगे हुए या किसी ऐसे पत्तन में जलयान के नित्तलों, बायलरों या द्वितलों में काम करने में लगे हुए व्यक्तियों के नियोजन को विनियमित करने के लिए;

<sup>1</sup>[(त) <sup>2</sup>\*\*\* [किसी ऐसे पत्तन में आने वाले वहां विद्यमान जलयानों से शुरू होने वाले और फैलाने वाले किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से लोक स्वास्थ्य को उत्पन्न खतरे के निवारण के लिए, और किसी ऐसे पत्तन से नौवहनित किसी जलयान के माध्यम से संक्रामक या सांसर्गिक रोग के प्रसारण के निवारण के लिए, तथा विशिष्टतया और इस उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(i) ऐसे जलयानों द्वारा, जिनके फलक पर कोई संक्रामक या सांसर्गिक रोग वाला व्यक्ति है या होने का सन्देह है, अथवा ऐसा विश्वास है कि जलयान ऐसे पत्तन पर किसी अन्य ऐसे पत्तन से पहुंचा है जिसमें या जिसके पडोस में कोई संक्रामक या सांसर्गिक रोग है या उस समय था जब जलयान ने उस पत्तन को छोड़ा था, संकेत फहराने के लिए और ऐसे जलयानों के लिए जो लंगरगाह पर होंगे;

(ii) ऐसे जलयानों और उन पर सवार व्यक्तियों के चिकित्सीय निरीक्षण के लिए;

(iii) उन प्रश्नों के लिए जिनके उत्तर और ऐसी जानकारी के लिए जो, ऐसे जलयानों, मजदूरों, पाइलटों या ऐसे जलयानों पर सवार अन्य व्यक्तियों की बाबत देने होंगे या देनी होंगी;

(iv) ऐसे जलयानों तथा उन पर सवार व्यक्तियों को निरुद्ध रखने के लिए;

(v) किसी ऐसे रोग की दशा में जलयानों के मजदूरों, पाइलटों और ऐसे जलयानों पर सवार अन्य व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्यों के लिए;

(vi) किसी ऐसे जलयान से किसी ऐसे व्यक्ति के, जो किसी ऐसे रोग से पीड़ित है या जिसके उससे पीड़ित होने का संदेह है, अस्पताल या स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्य स्थान को हटाए जाने तथा वहां निरुद्ध रखने के लिए;

(vii) ऐसे जलयानों या उनके किसी भाग की तथा उसमें की किन्हीं ऐसी वस्तुओं की सफाई, संवातन और विसंक्रामण के लिए जिनकी संक्रामित या संसर्गयुक्त होने की संभाव्यता है तथा ऐसे जलयानों में चूहों या अन्य पीड़क जन्तुओं को नष्ट करने के लिए; तथा

(viii) ऐसे जलयानों पर मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए; और]

(थ) किसी ऐसे पत्तन में जलयानों के आफिसरों और कर्मीदलों का ताप से बचाव करने के लिए किसी ऐसे जलयान के स्वामी या मास्टर से निम्नलिखित की अपेक्षा करने के लिए, अर्थात्:—

(i) डैक के ऐसे भागों को, जिनमें आफिसर या कर्मीदल रहते हैं, जो उनके निवास स्थानों के ठीक ऊपर स्थित हैं, धूप से बचाने के लिए पर्दों और दुहरे सायबानों की व्यवस्था करना;

(ii) आफिसरों और कर्मीदलों के निवास स्थानों को संवातित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने के लिए; वहां तक जहां तक कि डैक के विद्यमान गवाक्ष और छिद्र उपयुक्त हों, वायुपाल खड़े करना;

<sup>1</sup> 1911 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 द्वारा खंड (त) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

(iii) जब डैक लोहे का बना हुआ हो और लकड़ी का मड़ा हुआ तो डैक के ऐसे प्रभागों को जो आफिसरों और कर्मियों के निवास स्थानों के ठीक ऊपर स्थित हैं, लकड़ी के तख्तों या अन्य उपयुक्त अचालक सामग्री से मढ़ना;

(iv) जब कर्मियों द्वारा प्रयुक्त निवास स्थानों और पाकशाला को केवल लोहे की दीवार से अलग किया गया हो तब किसी उपयुक्त अचालक सामग्री से ऐसे स्थानों और रसोईघर के बीच में पर्दा लगाना।

1\*

\*

\*

\*

(2) उपधारा (1) <sup>2</sup>\*\*\* के अधीन नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन है कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही बनाए जाएंगे:

परंतु इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारतीय पत्तन अधिनियम, 1889 (1889 का 10) के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त और उस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा चालू रखे गए किसी नियम की विधिमान्यता पर प्रभाव डालती है।

<sup>3</sup>[(2क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

(2ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (त) के अधीन बनाए गए किसी नियम की अवज्ञा करेगा तो वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(4) यदि कोई मास्टर उपधारा (1) के खंड (त) के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा विहित कोई कार्य करने में पूर्णतया या भागतः असफल रहता है तो स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे कार्य करा सकेगा, और ऐसा कार्य करने में उपगत उचित व्यय उसके द्वारा ऐसे मास्टर से वसूलीय होगा।

### अध्याय 3

#### पत्तन अधिकारी और उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य

7. संरक्षक की नियुक्ति—(1) <sup>4</sup>[सरकार] इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक पत्तन के लिए किसी अधिकारी या व्यक्तियों के निकाय को संरक्षक नियुक्त करेगी।

(2) <sup>4</sup>[सरकार] के किसी ऐसे निदेश के अधीन रहते हुए, जो प्रतिकूल हो,—

(क) उन पत्तनों में जहां पत्तन अधिकारी हैं, पत्तन अधिकारी संरक्षक होगा,

(ख) उन पत्तनों में जहां कोई पत्तन अधिकारी नहीं है किंतु जहां बंदरगाह मास्टर संरक्षक होगा।

(3) जहां बंदरगाह मास्टर संरक्षक नहीं है, वहां बंदरगाह मास्टर और उसके सहायक, संरक्षक के अधीनस्थ और उनके नियंत्रण के अधीन होंगे।

(4) संरक्षक <sup>4</sup>[सरकार] के अथवा किसी ऐसे अन्य मध्यवर्ती प्राधिकारी के, जिसे <sup>5</sup>[सरकार] नियुक्त करे, नियंत्रण के अधीन होगा।

8. कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निदेश देने तथा उन्हें प्रवर्तित करने की संरक्षक की शक्ति—(1) किसी पत्तन का संरक्षक, इस अधिनियम के अधीन रहते हुए, पत्तन के भीतर किसी जलयान की बाबत किसी ऐसे नियम को प्रभावी करने के लिए निदेश दे सकेगा जो धारा 6 के अधीन वहां तत्समय प्रवृत्त है।

<sup>1</sup> 1922 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा उपधारा (1क) अंतःस्थापित की गई थी जिसका 1938 के अधिनियम सं० 26 की धारा 8 द्वारा लोप किया गया।

<sup>2</sup> 1922 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा “और उपधारा (1क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए गए थे जिनका 1938 के अधिनियम सं० 26 की धारा 8 द्वारा लोप किया गया।

<sup>3</sup> 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “उस सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।



(2) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर और बिना किसी विधिपूर्ण कारण के संरक्षक के किसी विधिपूर्ण निदेश का, तब जब उसे उसकी सूचना दी जा चुकी हो, पालन करने से इंकार करता है या उसका पालन करने में उपेक्षा करता है तो वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से, जो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और निरंतर अपराध की दशा में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान, उपरोक्त सूचना के पश्चात्, उसके बारे में यह साबित पाया जाता है कि वह जानबूझकर या बिना किसी विधिपूर्ण कारण के निदेश की अवज्ञा करता रहा है, जुर्माने से, जो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(3) ऐसे इंकार या उपेक्षा की दशा में संरक्षक निदेश को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक कार्य कर सकता है या करा सकता है, तथा उस प्रयोजन के लिए समुचित व्यक्तियों को भाड़े पर रख सकता है और नियोजित कर सकता है, और ऐसे कार्यों के करने में उपगत सब उचित व्यय संरक्षक द्वारा उस व्यक्ति से वसूलीय होगा जो निदेश का पालन करने से इंकार करता है या उसका पालन करने में उपेक्षा करता है।

**9. गूनों और रस्सियों को काटने की शक्ति**—कोई ऐसा पत्तन-संरक्षक, अत्यावश्यकता की दशा में, किसी ऐसी गून, रस्सी, केवल, हाजर को काट सकता है या कटवा सकता है जो पत्तन में या उसके प्रवेश स्थान पर या उसके निकट किसी पोत की सुरक्षा को संकटापन्न करती हो।

**10. पत्तन की सीमाओं के भीतर से बाधाओं को हटाना**—(1) संरक्षक किसी ऐसे पत्तन के किसी भाग में तैर रहे या विद्यमान किसी टिम्बर, रैफ्ट या अन्य वस्तु को, जो उसकी राय में पत्तन में अबाध नौवहन को बाधित करता है या उसमें अड़चन डालता है या किसी ऐसे तट या किनारे के किसी भाग पर, जो पत्तन की सीमाओं के भीतर घोषित किया गया है तथा प्राइवेट संपत्ति नहीं है, किसी पोतघाट, जैटी, उतराई स्थान, घाट, घट्टी, गोदी, मूरिंग या अन्य संकर्म के विधिपूर्ण उपयोग को बाधित करता है या उसमें अड़चन डालता है, हटा सकता है या हटवा सकता है।

(2) किसी ऐसे टिम्बर, रैफ्ट या अन्य वस्तु का स्वामी उसे हटाने का उचित व्यय देने का जिम्मेदार होगा, तथा यदि ऐसे स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति ने बिना किसी विधिपूर्ण कारण के कोई ऐसी बाधा डाली या अड़चन पहुंचाई है, या वह कोई ऐसी पब्लिक न्यूसेंस करता है जिससे ऐसे निर्बाध नौवहन या विधिपूर्ण उपयोग पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ने की संभाव्यता है तो वह स्वामी या अन्य व्यक्ति जुर्माने से भी, जो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(3) संरक्षक या ऐसे मजिस्ट्रेट जिसकी ऐसे अपराध पर अधिकारिता है, किसी ऐसी न्यूसेंस का उपशमन करा सकता है।

**11. हटाने के व्ययों की वसूली**—यदि किसी ऐसे टिम्बर, रैफ्ट या अन्य वस्तु का स्वामी, जिसने पूर्वगामी धारा में उल्लिखित बाधा डाली है या अड़चन पहुंचाई है या पब्लिक न्यूसेंस की है, उसे हटाने में उपगत उचित व्ययों को, मांग के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर अथवा ऐसे हटाए जाने को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर अथवा ऐसी रीति में जो [सरकार] साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, देने में उपेक्षा करता है तो संरक्षक ऐसे टिम्बर, रैफ्ट या अन्य वस्तु को या किसी पब्लिक न्यूसेंस की सामग्री को, या उसके उतने भाग को जितना आवश्यक हो, लोक नीलाम द्वारा विक्रय के लिए हटवा सकेगा;

और उसे इस प्रकार हटाने और विक्रय करने के सब व्ययों को विक्रय के आगमों में से प्रतिधारित कर सकेगा तथा वह ऐसे आगमों के अधिशेष का संदाय उसे प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को करेगा या वस्तु या सामग्री के उतने भाग को, जो विक्रय से रह जाए, उसे प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को परिदत्त करेगा;

तथा यदि ऐसा व्यक्ति हाजिर नहीं होता है तो उसे ऐसी रीति में, जैसी [सरकार] निर्दिष्ट करे, रखवा देगा और जमा करा देगा;

तथा, यदि आवश्यक हो तो, समय-समय पर, उसे रखने के व्ययों को विक्रय के व्ययों सहित, उस वस्तु या सामग्री के उतने भाग का, जो विक्रय से रह गया हो, और विक्रय कराकर वसूल करेगा।

**12. विधिपूर्ण बाधाओं का हटाया जाना**—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन के नौवहन में कोई बाधा या अड़चन विधिपूर्वक डाली गई है, अथवा ऐसी बाधा या अड़चन की दीर्घ निरंतरता के कारण या अन्यथा वह बाधा या अड़चन विधिपूर्ण हो गई है तो संरक्षक उसे [सरकार] की जानकारी के लिए रिपोर्ट करेगा, तथा [सरकार] के अनुमोदन से, उस व्यक्ति को जिसे उसे हटाने या उसमें फेरफार करने के कारण नुकसान हो, उचित प्रतिकर देते हुए ऐसी बाधा या अड़चन को हटवा सकता है या उसमें फेरफार कर सकता है।

(2) ऐसे प्रतिकर के संबंध में उठने वाले किसी विवाद को लोक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित भूमि की दशा में होने वाले वैसे ही विवादों से संबंधित विधि के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

**13. सरकारी लंगर स्थान को क्लुषित करना**—(1) यदि कोई जलयान किसी ऐसे पत्तन में [सरकार] द्वारा या उसके प्राधिकार में डाले गए किन्हीं बोटों या मूरिंगों में अटक जाता है या उनसे भिड़ जाता है तो ऐसे जलयान का मास्टर या कोई अन्य व्यक्ति, आपात की दशा में के सिवाय, उसे हुक से छुड़ाने या मुक्त होने के लिए उस बोया या लंगर को संरक्षक की सहायता के बिना नहीं हटाएगा;

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "उस सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

और संरक्षक, ऐसी घटना की सूचना प्राप्त होते ही, जलयान की निकासी में सहायता देगा और उसका अधीक्षण करेगा; तथा ऐसे जलयान का मास्टर, मांग किए जाने पर, ऐसे उचित व्ययों का संदाय करेगा जो उसकी निकासी में उपगत हों।

(2) इस धारा के उपबंधों का अतिवर्तन करने वाला मास्टर या अन्य व्यक्ति, ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से जो सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**14. पत्तन की सीमाओं के भीतर नौवहन में अड़चन डालने वाले ध्वस्त मलवे को उठाना या हटाना—**<sup>1</sup>[(1) यदि किसी पत्तन में कोई जलयान इस प्रकार से ध्वस्त हो जाता है, भूमि पर चढ़ जाता है या डूब जाता है कि उससे उस पत्तन में नौवहन में अड़चन पड़ती है, या अड़चन पड़ने की संभावना है, तो संरक्षक जलयान के स्वामी को, ऐसी अवधि के भीतर जलयान को उठवाने, हटाने या नष्ट करने के लिए सूचना देगा जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जलयान उक्त अवधि के भीतर उठवा लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा, संरक्षक के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति देने के लिए सूचना देगा:

परन्तु संरक्षक ऐसी अवधि को उतनी और अवधि तथा बढ़ा सकेगा, जो वह ऐसे मामले की परिस्थितियों को और नौवहन में उसके अड़चन के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक समझे।

(1क) जहां किसी जलयान का स्वामी जिसको उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है, ऐसे जलयान को, उस सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर उठवाने, हटाने या नष्ट करने में असफल रहता है अथवा उसे अपेक्षित प्रतिभूति देने में असफल रहता है, वहां संरक्षक जलयान को उठवा सकेगा, हटवा सकेगा या नष्ट करा सकेगा।

(1ख) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, यदि संरक्षक की यह राय है कि किसी जलयान को, जो किसी पत्तन में ध्वस्त हो या है, भूमि पर चढ़ गया है या डूब गया है, ऐसे पत्तन में निर्बाध नौवहन के प्रयोजन के लिए तत्काल उठवाया जाना, हटाया जाना या नष्ट किया जाना अपेक्षित है, तो वह उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना दिए बिना, ऐसे जलयान को उठवा सकेगा, हटवा सकेगा या नष्ट करा सकेगा।]

(2) यदि <sup>2</sup>[उपधारा (1क) या उपधारा (1ख) के अधीन] कार्य कर रहे संरक्षक को मिली कोई संपत्ति अदावाकृत है या उस पर दावा करने वाला व्यक्ति संरक्षक द्वारा उस धारा के अधीन उपगत उचित व्ययों का, तथा ऐसे व्ययों की रकम की बीस प्रतिशत और अतिरिक्त राशि का, संदाय करने में असफल रहता है, तो संरक्षक, यदि वह संपत्ति विनश्वर प्रकृति की है तो तुरंत ही, और यदि वह विनश्वर प्रकृति की नहीं है तो उसके प्राप्त होने के पश्चात् <sup>3</sup>[तीस दिन] से अन्यून अवधि में किसी भी समय, लोक नीलाम द्वारा संपत्ति का विक्रय कर सकेगा।

(3) उपरोक्त व्यय और अतिरिक्त राशि संपत्ति के विक्रय आगमों में से संरक्षक को देय होगी, और अतिशेष प्राप्त संपत्ति के हकदार व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा, या, यदि ऐसा कोई व्यक्ति हाजिर नहीं होता है और अतिशेष का दावा नहीं करता है तो उस व्यक्ति को बिना किसी ब्याज के संदाय करने के लिए जमा रखा जाएगा जो तत्पश्चात् उस पर अपना अधिकार स्थापित करे:

परन्तु यह तब जब तक ऐसा व्यक्ति अपना दावा विक्रय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर कर देता है।

<sup>4</sup>[(4) जहां संपत्ति के विक्रय आगम उपरोक्त व्ययों और अतिरिक्त राशि की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो जलयान के ध्वस्त होने, भूमि पर चढ़ जाने या डूब जाने के समय जो भी उस जलयान का स्वामी है वह ऐसी कम पड़ने वाली राशि का संरक्षक द्वारा मांग किए जाने पर, संदाय करने के लिए दायी होगा, और यदि कम पड़ने वाली राशि का संदाय संरक्षक द्वारा ऐसी मांग किए जाने के एक मास के भीतर नहीं किया जाता तो संरक्षक कम पड़ने वाली राशि की वसूली ऐसे स्वामी से धारा 57 की उपधारा (2) में व्ययों और नुकसानियों की वसूली के लिए अधिकथित रीति में अथवा किसी अन्य रीति में इस बात के अनुसार कर सकेगा कि कम पड़ने वाली राशि एक हजार रूपए से कम है या अधिक।]

**15. जलयानों पर चढ़ने और भवनों में प्रवेश करने की शक्ति—**(1) संरक्षक या उसके सहायकों में से कोई, जब भी उसे यह सन्देह हो कि इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है या किया जाने वाला है, अथवा जब भी उसको इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए, ऐसा करना आवश्यक हो तब,

और किसी जलयान की बाबात देय किन्हीं पत्तन-शुल्कों, फीसों और अन्य प्रभारों को प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त व्यक्ति, जब भी उसको इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए, ऐसा करना आवश्यक हो तब,

या तो अकेले अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ, इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर किसी जलयान पर चढ़ सकेगा, या किसी भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा।

<sup>1</sup> 1992 के अधिनियम सं० 23 की धारा 3 द्वारा (12-8-1992 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 1992 के अधिनियम सं० 23 की धारा 3 द्वारा (12-8-1992 से) “उपधारा (1) के अधीन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1992 के अधिनियम सं० 23 की धारा 3 द्वारा (12-8-1992 से) “दो मास” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 1952 के अधिनियम सं० 55 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

(2) यदि जलयान का मास्टर, या भवन या स्थान का कब्जाधारी या अधिभोगी कोई व्यक्ति, बिना किसी विधिपूर्ण कारण के, उपधारा (1) में उल्लिखित किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए ऐसे जलयान, भवन या स्थान पर चढ़ने नहीं देता या उसमें प्रवेश नहीं करने देता है तो वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**16. कर्मियों से आग को रोकने या बुझाने की अपेक्षा करने की शक्ति**—(1) संरक्षक या पत्तन अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में आग को रोकने या बुझाने के प्रयोजन के लिए पत्तन के लिए पत्तन के भीतर किसी जलयान के मास्टर से अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने आदेश के अधीन उस समय कर्मियों में से तीन चौथाई से अधिक उतने व्यक्तियों को, जितने संरक्षक या पत्तन अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों, उसे सौंप दे।

(2) ऐसी अध्यक्षता का अनुपालन करने से इंकार करने वाला या उसकी अपेक्षा करने वाला मास्टर जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और तत्समय उसके आदेश के अधीन कोई नाविक, जो मास्टर द्वारा संरक्षक या पत्तन अधिकारी के उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए आदेशों का पालन करने का निदेश दिए जाने के पश्चात् ऐसे आदेशों का पालन करने से इंकार करता है, जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**17. स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति और उसकी शक्तियां**—(1) <sup>1</sup>[सरकार] इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन पर एक अधिकारी नियुक्ति कर सकेगी जो स्वास्थ्य अधिकारी कहलाएगा।

(2) स्वास्थ्य अधिकारी को, <sup>1</sup>[सरकार] के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उस पत्तन की सीमाओं के भीतर जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) किसी जलयान की बाबत वही शक्तियां जो भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1859<sup>2</sup> (1859 का 1) की धारा 71 द्वारा पोत मास्टर को प्रदत्त हैं;

(ख) किसी जलयान के फलक पर प्रवेश करने और जलयान के फलक पर सभी या किन्हीं नाविकों या शिक्षकों की चिकित्सीय परीक्षा करने की शक्ति;

(ग) लॉग बुक और किन्हीं ऐसी अन्य बहियों, कागजपत्रों या दस्तावेजों को, जिन्हें वह जलयान पर सवार व्यक्तियों के स्वास्थ्य और चिकित्सीय दशा की जांच करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझता है, पेश करने की अपेक्षा करने की और उनकी पेशी कराने की शक्ति;

(घ) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए उन सभी व्यक्तियों या उनमें से किसी को अपने समक्ष बुलाने और उससे प्रश्न करने की शक्ति तथा ऐसे किन्हीं प्रश्नों का, जिन्हें पूछना वह ठीक समझता है, सत्य उत्तरों की अपेक्षा करने की शक्ति;

(ङ) ऐसे व्यक्ति से, जिससे प्रश्न पूछे गए हैं, इसके द्वारा दिए गए विवरण की सत्यता की घोषणा करने और उसे हस्ताक्षरित करने की अपेक्षा करने की शक्ति।

**18. पत्तन अधिकारी या पाइलट के कार्य या व्यतिक्रम के लिए सरकार की क्षतिपूर्ति**—इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन संरक्षक, पत्तन अधिकारी या बंदरगाह मास्टर के अथवा उपरोक्त प्राधिकारियों में से किसी के उप या सहायक, अथवा किसी ऐसे प्राधिकारी, उप या सहायक के नियन्त्रण या निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के, किसी कार्य या व्यतिक्रम के लिए अथवा किसी पाइलट के किसी कार्य या व्यतिक्रम के लिए, अथवा सरकार की किन्हीं मूरिंगों, हाजरों या अन्य वस्तुओं में से किसी में, जिसका प्रयोग जलयान द्वारा किया जाए, किसी कमी के परिणामस्वरूप किसी जलयान को होने वाले किसी नुकसान के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी:

परंतु इस धारा की कोई बात <sup>3</sup>[सरकार] के अभिव्यक्त आदेश या मंजूरी से या उसके अधीन किए गए किसी कार्य की बाबत वाद से संरक्षण नहीं देगी।

#### अध्याय 4

### पोत परिवहन की सुरक्षा और पत्तनों के संरक्षण के लिए नियम

#### साधारण नियम

**19. बोटों, बीकनों और मूरिंगों को क्षति पहुंचाना**—(1) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में <sup>1</sup>[सरकार] द्वारा, या उसके प्राधिकार से, लगाए गए या डाले गए किसी बोया, बीकन या मूरिंग को बिना किसी विधिपूर्ण कारण से न तो उठाएगा, न क्षति पहुंचाएगा, न खोलेगा और न खुला छोड़ेगा।

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> अब वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) देखिए।

<sup>3</sup> "सैक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन कौंसिल" शब्द अनुक्रमशः भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 और विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित करके उपरोक्त रूप में आया।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों का अतिवर्तन करता है तो वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा किए गए नुकसान की रकम के संदाय के लिए भी इसके अतिरिक्त दायी होगा।

**20. मूरिंगों से जानबूझकर जलयान को खोल देना**—यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पत्तन के भीतर किसी जलयान को जलयान के स्वामी या मास्टर की इजाजत या प्राधिकार के बिना उसे उसकी मूरिंग से जानबूझकर और विधिपूर्ण कारण के बिना खोलेगा या हटाएगा तो वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक हो सकेगा, या कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**21. अनुचित प्रकार से स्थिरक भार का डाला जाना**—(1) कोई भी स्थिरक भार या कूड़ा-करकट तथा कोई अन्य वस्तु जिससे ढेर बन सकता है या जमाव हो सकता है या जो नौवहन के लिए अहितकर हो सकता है, किसी ऐसे पत्तन में अथवा किनारे पर किसी ऐसे स्थान पर जहां से वह किसी ऐसे पत्तन में सामान्य या ऊंचे ज्वार से, या तूफान से या भू-बाढ़ से बहकर आ सकता है, विधिपूर्ण कारण के बिना नहीं छोड़ा या फेंका जाएगा।<sup>1</sup> तथा किसी ऐसे पत्तन में या उसके भीतर जिसे धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (डड) के अधीन बनाए गए कोई नियम लागू हैं ऐसे नियमों के अनुसार से अन्यथा, कोई तेल या तेल मिश्रित जल नहीं गिराया जाएगा।<sup>2</sup>

(2) कोई भी व्यक्ति जो स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से कोई स्थिरक भार या कूड़ा-करकट या कोई ऐसी अन्य वस्तु छोड़ेगा या फेंकेगा<sup>3</sup> [अथवा कोई तेल या तेल मिश्रित जल गिराएगा] तथा किसी ऐसे जलयान का मास्टर, जिससे ऐसी वस्तु छोड़ी, <sup>4</sup>फेंकी, या गिराई जाती है, जुर्माने से, जो <sup>5</sup>[पांच लाख रुपए] तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और वह ऐसे उचित व्ययों का संदाय करेगा जो उस वस्तु को हटाने में उपगत हों।

(3) स्थिरक भार या कूड़ा-करकट या ऐसी अन्य वस्तु को छोड़ने या फेंकने<sup>6</sup> [अथवा कोई तेल या तेल मिश्रित जल गिराने] से विरत रहने की सूचना पत्तन संरक्षक से प्राप्त होने के पश्चात् यदि कोई मास्टर उसे फेंकना, <sup>4</sup>[छोड़ना या गिराना जारी रखेगा] तो वह साधारण कारावास से, <sup>5</sup>[जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा,] दंडनीय होगा।

(4) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे मामले को लागू नहीं होती जिसमें किसी ऐसे पत्तन में या उसके भीतर संरक्षक की लिखित सम्मति से अथवा किन्हीं ऐसी सीमाओं के भीतर, जिनमें ऐसा कार्य <sup>6</sup>[सरकार] द्वारा प्राधिकृत हो, स्थिरक भार या कूड़ा-करकट या ऐसी अन्य वस्तु छोड़ी जाती है या फेंकी जाती है<sup>1</sup> [अथवा तेल या मिश्रित जल गिराया जाता है।]

**22. प्रतिषिद्ध सीमाओं के भीतर जलयान के पेंदे का साफ करके कोलतार पोतना**—यदि कोई व्यक्ति संरक्षक के निदेशों के प्रतिकूल अथवा किसी ऐसे समय या ऐसी सीमाओं के भीतर, जब और जहां कार्य <sup>6</sup>[सरकार] द्वारा प्रतिषिद्ध है, किसी ऐसे पत्तन में किसी जलयान को सूखे स्थान पर लाकर उसके पेंदे को साफ करके उस पर कोलतार पोतेगा, उसे साफ करेगा या धूमिलत करेगा तो वह, और जलयान का मास्टर, प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो प्रत्येक अपराध के लिए पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**23. प्रतिषिद्ध सीमाओं के भीतर जलयान के फलक पर निराल उबालना**—यदि कोई व्यक्ति ऐसे पत्तन के भीतर या उसकी सीमाओं के भीतर किसी ऐसे स्थान पर, जहां ऐसा कार्य <sup>6</sup>[सरकार] द्वारा प्रतिषिद्ध है, अथवा संरक्षक के निदेशों के प्रतिकूल किसी जलयान के फलक पर कोई निराल, अलकतेरा, राल, डामर, तारपीन, तेल या अन्य दाह्य पदार्थ उबालेगा या गर्म करेगा तो वह और जलयान का मास्टर प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो प्रत्येक अपराध के लिए दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**24. असंरक्षित कृत्रिम प्रकाश में आसव निकालना**—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन के भीतर किसी जलयान के फलक पर असंरक्षित कृत्रिम प्रकाश में आसव निकालेगा तो वह और जलयान का मास्टर प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**25. गून बांधना**—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में जलयान का प्रत्येक मास्टर, जब उससे संरक्षक द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तब, पत्तन में किसी अन्य जलयान को खींचने के प्रयोजन के लिए जलयान में गून या हाजर बांधने की अनुज्ञा देगा तथा ऐसे गून या हाजर को तब तक न तो छोड़ेगा न सहन करेगा जब तक ऐसा करने की अपेक्षा न की जाए।

(2) वह मास्टर जो उपधारा (1) का अतिवर्तन करेगा प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**26. सूर्यास्त के पश्चात् गून या हाजर को छोड़ देना**—(1) जलयान का मास्टर इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में अपने जलयान से जोड़े गए किसी गून या हाजर को सूर्यास्त के पश्चात् ऐसी रीति से न तो छोड़ेगा न सहन करेगा जिससे पत्तन में नौवहनित किसी अन्य जलयान की सुरक्षा संकटापन्न हो जाए।

(2) वह मास्टर जो उपधारा (1) का अतिवर्तन करेगा प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

<sup>1</sup> 1923 के अधिनियम सं० 39 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1923 के अधिनियम सं० 39 की धारा 3 द्वारा “या फेंकी जाती है” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1992 के अधिनियम सं० 23 की धारा 4 द्वारा (12-8-1992 से) “पांच सौ रुपए” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 1923 के अधिनियम सं० 39 की धारा 3 द्वारा “या उसे फेंकना जारी रखेगा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> 1992 के अधिनियम सं० 23 की धारा 4 द्वारा (12-8-1992 से) “दो मास” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>6</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**27. पत्तन में अग्न्यायुद्ध चलाना**—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में, अथवा किसी पोतघाट, उतराई स्थान, घाट या घट्टी पर या उससे कोई अग्न्यायुद्ध, ऐसी गन के सिवाय जो संकट का संकेत देने के लिए या किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जो <sup>1</sup>[सरकार] द्वारा अनुज्ञात हो, केवल बारूद से भरी गई हो, चलाएगा, तो वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**28. आग बुझाने का आदेश देने में लोप के लिए मास्टर पर शास्ति**—यदि किसी ऐसे जलयान का मास्टर जिसमें तब जब वह किसी पत्तन में खड़ा हो, आग लग जाती है, आग को बुझाने का आदेश देने से जानबूझकर लोप करता है या संरक्षक या पत्तन अधिकारी को, अथवा संरक्षक या पत्तन अधिकारी के प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को, आग को बुझाने से या बुझाने का प्रयास करने से बाधित करता है तो वह कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

**29. खोए हुए भंडारों की अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा खोज**—(1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में खोए हुए या खोए समझे गए लंगरों, केबलों या अन्य भंडारों को, संरक्षक की अनुज्ञा के बिना, तलाश नहीं करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का अतिवर्तन करता है तो वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**30. पत्थरों को हटाने या पत्तन के किनारों को क्षति पहुंचाने का प्रतिषेध**—(1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में से, संरक्षक की अनुज्ञा के बिना, कोई शैल, पाषाण, समुद्री कंकड़ (शिंगिल) और बजरी, बालू या मिट्टी या कोई कृत्रिम संरक्षण, पत्तन के तट या किनारे के किसी भाग से नहीं हटाएगा या नहीं ले जाएगा;

और कोई व्यक्ति ऐसे तट या किनारे के किसी भाग में, चाहे वह लोक संपत्ति हो या प्राइवेट संपत्ति, संरक्षक की अनुज्ञा के, तथा ऐसे किसी व्यक्ति की सहायता के या निरीक्षण के अधीन के सिवाय जो व्यक्ति संरक्षक द्वारा ऐसे कार्य के निर्वहन में या उसकी देख-रेख में भाग लेने के लिए नियुक्त किया जाए, ऐसा कोई मूरिंग पोस्ट, लंगर या कोई अन्य वस्तु नहीं डुबाएगा या दफनाएगा अथवा कोई ऐसा अन्य कार्य नहीं करेगा जिससे ऐसे तट या किनारे को क्षति पहुंचने की सम्भावना है या जिसका प्रयोग उसे क्षति पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) का अतिवर्तन करता है तो वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और किन्हीं ऐसे उचित व्ययों का संदाय भी करेगा जो तट या किनारे की उसके द्वारा की गई किसी क्षति की मरम्मत कराने में उपगत हों।

### विशेष नियम

**31. पाइलट के बिना या बंदरगाह मास्टर की अनुज्ञा के बिना जलयानों को चलाना**—(1) दो सौ टन या उससे अधिक परिमाण का कोई जलयान पाइलट, बंदरगाह मास्टर या पत्तन अधिकारी या बंदरगाह मास्टर के सहायक को फलक पर लिए बिना किसी ऐसे पत्तन में, जिस पर इस धारा का विशेष रूप से विस्तार किया गया है, प्रवेश नहीं करेगा, उसे नहीं छोड़ेगा या वहां नहीं लाया जाएगा,

<sup>2</sup>[और दो सौ टन से कम परिमाण का कोई यंत्रचालित जलयान तथा दो सौ टन से कम और सौ टन से अधिक परिमाण का कोई अन्य जलयान] पाइलट, बंदरगाह मास्टर या पत्तन अधिकारी या बंदरगाह मास्टर के सहायक को फलक पर लिए बिना तब तक किसी ऐसे पत्तन में प्रवेश नहीं करेगा या उसे नहीं छोड़ेगा या वहां नहीं लाया जाएगा जब तक संरक्षक से, या उसके द्वारा ऐसा प्राधिकारी देने के लिए सशक्त किए किसी अधिकार से, लिखित में ऐसा करने की अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं कर ली जाती:

<sup>3</sup>[परंतु <sup>4</sup>[सरकार] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी पत्तन में उतने से अनधिक परिमाण के जो परिमाण इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाए, चलत जलयानों को इस उपधारा के उपबंध लागू नहीं होंगे।]

<sup>5</sup>[(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जलयान का वह स्वामी या मास्टर, जिससे उस उपधारा द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि जलयान के फलक पर कोई पाइलट, बंदरगाह मास्टर अथवा पत्तन अधिकारी या बंदरगाह मास्टर का सहायक होना चाहिए, जलयान के द्वारा या जलयान नौवहन की किसी त्रुटि से कारित किसी हानि या नुकसान के लिए उसी रीति से जवाबदार होगा जैसे वह उस दशा में होता यदि उससे इस उपधारा द्वारा ऐसी अपेक्षा नहीं की गई होती:

परंतु इस उपधारा के उपबंध 1918 की जनवरी के प्रथम दिन पर्यंत, अथवा ऐसी पूर्वतर तारीख पर्यंत, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित करे, प्रभावी नहीं होंगे।]

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 1952 के अधिनियम सं० 55 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1925 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> 1916 के अधिनियम सं० 6 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>1</sup>[(3)] यदि कोई जलयान, अत्यावश्यकता की दशा में के सिवाय, उपधारा (1) के उपबंधों के प्रतिकूल किसी पत्तन में प्रवेश करता है, उसे छोड़ता है या वहां लाया जाता है तो जलयान का मास्टर प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए, उस दशा में के सिवाय जब वह समुचित अधिकारी को आवेदन करने पर भी किसी पाइलट, बंदरगाह मास्टर अथवा पत्तन अधिकारी या बंदरगाह मास्टर के सहायक को जलयान के फलक पर जाने के लिए उपाप्त करने में समर्थ रहा हो, जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

2\* \* \* \* \*

**32. कतिपय जलयानों पर आग बुझाने वाले साधनों की व्यवस्था—**(1) दो सौ टन से अधिक के परिमाण वाले प्रत्येक जलयान पर, जो किसी ऐसे पत्तन में ठहरा हुआ हो जिस पर इस धारा का विशेष रूप से विस्तार किया गया है, उसके फलक पर लगने वाली किसी आग को बुझाने के प्रयोजन के लिए एक समुचित बलपंप और होज तथा अनुलग्नकों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) ऐसे जलयान का स्वामी जो, संरक्षक द्वारा उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने की अपेक्षा किए जाने पर, बिना किसी विधिपूर्ण कारण के, ऐसी अध्यपेक्षा के पश्चात् सात दिन अवधि तक ऐसा करने में उपेक्षा करता है या ऐसा करने से इंकार करता है, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

### अध्याय 5

### पत्तन-शुल्क, फीस और अन्य प्रभार

**33. पत्तन-शुल्क का उद्ग्रहण—**(1) <sup>3</sup>[उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए], <sup>4</sup>[प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी महापत्तन से भिन्न पत्तनों में से प्रत्येक में] प्रवेश करने वाले ऐसे जलयानों पर, जो उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में वर्णित है, उक्त अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में उस पत्तन के लिए विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक उतना पत्तन-शुल्क जितना <sup>5</sup>[सरकार] निर्दिष्ट करे, उद्ग्रहीत किया जाएगा किन्तु ऐसा उद्ग्रहण उतने अवसरों से अधिक बार नहीं किया जाएगा जो उक्त अनुसूची के चतुर्थ स्तम्भ में पत्तन के लिए नियत किए गए हैं।

<sup>3</sup>[(2) <sup>5</sup>[सरकार], राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रथम अनुसूची में <sup>6</sup>[यथास्थिति] <sup>7</sup>[किसी भी राज्य में] अथवा राज्य विशेष, में,] पत्तनों से संबंधित किसी प्रविष्टि में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकेगी, और इस शक्ति में किन्हीं ऐसे पत्तनों के पुनर्समूहीकरण की शक्ति भी होगी:

8\* \* \* \* \*

<sup>9</sup>[(3)] जब भी <sup>5</sup>[सरकार] <sup>10\*\*\*</sup> <sup>4</sup>[यह घोषित करे कि किसी महापत्तन से भिन्न कोई अन्य पत्तन] इस अधिनियम के अधीन है तब वह <sup>10\*\*\*</sup> उसी या किसी पश्चात्वर्ती घोषणा द्वारा,—

(क) प्रथम अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ की प्रविष्टियों में से किसी के रूप में, उन जलयानों की घोषणा भी कर सकेगी जो पत्तन में प्रवेश करने पर पत्तन-शुल्क से प्रभार्य होंगे,

(ख) ऐसी उच्चतर दरों की घोषणा भी कर सकेगी जिन पर ऐसे शुल्क उन जलयानों की बाबत उद्ग्रहीत किए जा सकेंगे जिन पर शुल्क प्रभार्य है, तथा

(ग) उन अवसरों की घोषणा भी कर सकेगी जब ऐसे जलयान इस प्रकार से प्रभार्य होंगे।

11\* \* \* \* \*

<sup>9</sup>[(4)] किसी पत्तन में इस समय उद्ग्रहणीय सभी पत्तन-शुल्क तब तक उद्ग्रहणीय रहेंगे जब तक इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्यथा घोषित नहीं किया जाएगा।

<sup>9</sup>[(5)] इस धारा के अधीन पत्तन-शुल्कों को अधिरोपित करने वाला या उन्हें वर्णित करने वाला कोई आदेश उस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से <sup>12</sup>[तीस दिन] के अवसानपर्यन्त प्रभावी नहीं होगा।

<sup>1</sup> 1916 के अधिनियम सं० 6 की धारा 5 द्वारा उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) को क्रमशः उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

<sup>2</sup> 1916 के अधिनियम सं० 6 की धारा 5 द्वारा पुनःसंख्यांकित उपधारा (4), और उपधारा (5) का 1925 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया।

<sup>3</sup> 1916 के अधिनियम सं० 6 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 1997 के अधिनियम सं० 15 की धारा 4 द्वारा (9-1-1997 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>6</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “अपने प्रांत में” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>7</sup> “त्रिटिश भारत” शब्द भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित करके उपरोक्त रूप में आए।

<sup>8</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया।

<sup>9</sup> 1916 के अधिनियम सं० 6 की धारा 6 द्वारा उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) को क्रमशः उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

<sup>10</sup> 1916 के अधिनियम सं० 6 की धारा 6 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

<sup>11</sup> 1916 के अधिनियम सं० 6 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित परन्तुक का भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा लोप किया गया।

<sup>12</sup> 1992 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा (12-8-1992 से) “साठ दिन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>1</sup>[34. सरकार द्वारा पत्तन-शुल्क में फेरफार—सरकार—

(क) महापत्तनों से भिन्न पत्तनों की दशा में, धारा 36 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी से,

(ख) महापत्तनों की दशा में, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 47क के अधीन गठित प्राधिकरण से,

परामर्श करने के पश्चात् ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में प्रवेश करने वाले किसी जलयान या जलयानों के वर्ग को पत्तन-शुल्क के संदाय से छूट दे सकेगी और छूट को रद्द कर सकेगी या पत्तन की प्राप्तियों और प्रभारों को ध्यान में रखते हुए ऐसे शुल्कों को या उनमें से किसी को ऐसी रीति से जैसी वह समीचीन समझे, उन दरों में फेरफार कर सकेगी, जिन पर पत्तन में पत्तन-शुल्क नियत किए जाने हैं अथवा पत्तन में प्रवेश करने वाले किसी जलयान या जलयानों के वर्ग को पत्तन-शुल्कों का संदाय करने के दायित्व से जितनी अवधि के लिए छूट है, उस अवधि का विस्तार कर सकेगी:

परन्तु ऐसी दरें किसी भी दशा में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन लिए जाने के लिए प्राधिकृत रकम से अधिक नहीं होगी।]

**35. यान मार्गदर्शन और कतिपय अन्य सेवाओं के लिए फीसें—**(1) <sup>2</sup>[इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन, जो कोई महापत्तन न हो, के भीतर] जलयानों के मार्गदर्शन, सिंचाई, मूरिंग करने, फिनर से मूरिंग करने, हुक लगाने, माप लेने और अन्य सेवाओं के लिए ऐसी दरों पर फीसें प्रभारित की जा सकेंगी जैसी <sup>3</sup>[सरकार] द्वारा निर्दिष्ट की जाएं।

<sup>4</sup>\* \* \* \* \*

(2) ऐसी सेवाओं के लिए इस समय प्रभार्य फीस तक प्रभार्य रहेंगी जब तक उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनमें परिवर्तन नहीं कर दिया जाए।

<sup>5</sup>[(3) सरकार उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रभार्य फीसों को विशेष दशाओं में, पूर्णतया या उनके किसी भाग को माफ कर सकेगी।]

**36. पत्तन प्रभारों की प्राप्ति, व्यय और लेखा—**(1) <sup>3</sup>[सरकार] ऐसे प्रत्येक पत्तन पर जिस पर कोई शुल्क, फीस या अन्य प्रभार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन लिए जाने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए तथा <sup>3</sup>[सरकार] के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्राप्तियों को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों में से किसी पर व्यय करने के लिए कोई अधिकारी या व्यक्तियों का निकाय नियुक्त करेगी।

(2) ऐसा अधिकारी या निकाय पत्तन के लिए एक पृथक् लेखा रखेगा जो पत्तन निधि लेखा कहलाएगा और उस लेखे में, ऐसा व्यौरों सहित जैसे <sup>3</sup>[सरकार] विहित करे, पत्तन की प्राप्तियां और व्यय दर्शाए जाएंगे तथा ऐसा अधिकारी या निकाय प्रतिवर्ष अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात् यथासाध्यशीघ्र गत वित्तीय वर्ष के हिसाब की एक संक्षिप्त ऐसे प्ररूप में प्रकाशित करेगा जैसा <sup>6</sup>[सरकार] विहित करे :

<sup>7</sup>[परन्तु यदि किसी पत्तन की बाबत किसी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसा प्राधिकृत है तो ऐसे किसी पत्तन का पत्तन निधि लेखा उस पत्तन के साधारण लेखा में विलयित किया जा सकेगा, और उस दशा में उपधारा (6) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे और उपधारा (4) और (5) के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो उनमें “पत्तन का पत्तन निधि लेखा” शब्दों के स्थान पर “पत्तन का साधारण लेखा” शब्द रखे गए हों।]

<sup>8</sup>\* \* \* \* \*

(4) इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन मध्ये, प्राप्त सब धन, यान मार्गदर्शन की बाबत प्राप्तियों को छोड़कर किन्तु निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए पत्तन के पत्तन निधि लेखा में जमा किया जाएगा, अर्थात्:—

<sup>9</sup>[(क) उपधारा (5क) के अधीन पत्तन यान मार्गदर्शन लेखा में जमा किए जाने योग्य जुर्मानों से भिन्न जुर्माने;]

(ख) लावारिस माल के आगम, और

<sup>1</sup> 1997 के अधिनियम सं० 15 की धारा 5 द्वारा (9-1-1997 से) धारा 34 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 1997 के अधिनियम सं० 15 की धारा 6 द्वारा (9-1-1997 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 1916 के अधिनियम सं० 6 की धारा 8 द्वारा मूल परन्तुक लोप किया गया था और 1929 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित परन्तुक का भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा लोप किया गया।

<sup>5</sup> 1951 के अधिनियम सं० 35 की धारा 190 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>6</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “उक्त सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>7</sup> 1951 के अधिनियम सं० 35 की धारा 191 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>8</sup> 1916 के अधिनियम सं० 6 की धारा 9 द्वारा उपधारा (3) का लोप किया गया।

<sup>9</sup> 1951 के अधिनियम सं० 35 की धारा 191 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ग) यदि विक्रय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर दावे के अतिशेष पर कोई अधिकार स्थापित नहीं किया गया हो तो धारा 14 के अधीन विक्रय के आगमों का कोई अतिशेष।

(5) किसी ऐसे पत्तन के वास्ते उपगत सभी व्यय, यान मार्गदर्शन की बाबत व्ययों को छोड़कर किन्तु निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए, पत्तन के पत्तन निधि लेखा पर प्रभारित होंगे, अर्थात्:—

(क) पत्तन के स्थापन के सब व्यक्तियों के वेतन और भत्ते;

(ख) पत्तन में स्थित या उसमें प्रवेश करने वाले या उन्हें छोड़ने वाले, या पत्तन की ओर जाने वाली नदियों या जल सरणियों से होकर गुजरने वाले, जलयानों के फायदे के लिए ही मुख्य रूप से अनुरक्षित बोगों, बीकनों, प्रकाशों और सब अन्य संकर्मों के खर्चे;

(ग) इस अधिनियमिति, या पत्तनों और पत्तन-शुल्कों से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन पत्तन में नियोजित व्यक्तियों को पेंशन, भत्ते और उपदानों, या उन पेंशनों, भत्तों और उपदानों का ऐसा प्रभाग जैसा <sup>1</sup>[सरकार] नियम द्वारा अवधारित करे;

(घ) नाविकों को ग्रहण करने या राहत देने के लिए उपयुक्त सार्वजनिक अस्पतालों या औषधालयों को सहायता के लिए <sup>1</sup>[सरकार] की पूर्व मंजूरी से या पत्तन में पोत परिवहन के लिए और पत्तन में जलयानों के नाविकों के लिए चाहे वह तट पर हों या यात्रा में, स्वास्थ्य संबंधी अधीक्षण और चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी से, अभिदाय, तथा

(ङ) वैसे ही मंजूरी से नाविक गृहों, संस्थानों, विश्रामों-गृहों और काफी हाउसों की बाबत तथा नाविकों के स्वास्थ्य, मनोरंजन और ऐहिक कल्याण से संबंधित अन्य प्रयोजनों के लिए अभिदाय।

<sup>2</sup>[(5क) इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन <sup>3</sup>[महापत्तन से भिन्न]] में यान मार्गदर्शन के लिए प्रभावित सभी फीसों और पाइलटों से या यान मार्गदर्शन सेवा में नियोजित अन्य व्यक्तियों से इस अधिनियम के अधीन या पत्तन से संबंधित किसी अन्य अधिनियम के अधीन सब जुर्माने और शास्तियां, किन्तु उन जुर्मानों और शास्तियों से भिन्न जो न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए गए हों, एक पृथक् खाते में जमा किए जाएंगे जो पत्तन यान मार्गदर्शन लेखा कहलाएगा।

(5ख) यान मार्गदर्शन लेखा में जमा की गई सभी राशियां, ऐसे परिमाणों में, जैसे सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए उपयोजित की जा सकेगी, अर्थात्:—

(क) ऐसे जलयानों का क्रय और अनुरक्षण या मरम्मत तथा ऐसी सामग्रियों, भंडारों या अन्य वस्तुओं का प्रदाय जिनका क्रय, अनुरक्षण या आपूर्ति उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी या निकाय यान मार्गदर्शन सेवा की दक्षता के लिए आवश्यक समझे;

(ख) पाइलटों और यान मार्गदर्शन सेवा में या उसके अधीक्षण में नियोजित अन्य व्यक्तियों के वेतनों, मजदूरियों और भत्तों का संदाय;

(ग) पाइलटों और यान मार्गदर्शन सेवा में नियोजित अन्य व्यक्तियों की पेंशनों, सेवा निवृत्ति उपदानों, अनुकम्पा भत्तों या बोनसों का संदाय जो उनकी ओर से किसी भविष्य निधि या कल्याण निधि में संदत्त किए जाने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं;

(घ) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारी या निकाय द्वारा ऐसे पाइलटों और यान मार्गदर्शन सेवा में नियोजित अन्य व्यक्तियों को मंजूर की गई पेंशनों, उपदानों और अनुकम्पा भत्तों का संदाय जिन्हें अपने कर्तव्यों के निष्पादन में क्षति पहुंची हो तथा ऐसे पाइलटों और इस प्रकार नियोजित अन्य व्यक्तियों को, जो अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए मर जाएं या ऐसे अधिकारी या निकाय की सेवा में रहते हुए मर सकते हैं उत्तरजीवी नातेदारों को संदाय;

(ङ) पाइलटों और यान मार्गदर्शन सेवा में नियोजित अन्य व्यक्तियों के लिए शैक्षिक, आमोद-प्रमोद संबंधी और अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था;

(च) यदि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी या निकाय यह समझता है कि कोई अभिदाय या विनियोजन यान मार्गदर्शन लेखा में से किसी ऐसी निधि या निधियों में किए जाने चाहिए जो पत्तन से संबंधित किसी अन्य अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्थापित विशेष निधि या निधियों में हैं तो ऐसे अभिदायों या विनियोजनों का संदाय;

(छ) कोई अन्य व्यय, जो सरकार की पूर्व मंजूरी से, यान मार्गदर्शन सेवा के संबंध में उपगत किया जाए।

(5ग) यदि किसी पत्तन पर उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी या निकाय ऐसा प्राधिकारी है जो उस पत्तन के साधारण खाते के बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी है, तो इस बात के होते हुए भी कि उस अधिनियम में इस निमित्त कोई उपबन्ध नहीं है जिस अधिनियम के अधीन ऐसा साधारण लेखा रखा जाता है, ऐसा अधिकारी या निकाय, सरकार की पूर्व मंजूरी से, पत्तन के

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 1951 के अधिनियम सं० 35 की धारा 191 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 1992 के अधिनियम सं० 23 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।



यान मार्गदर्शन लेखा की किन्हीं कमियों को, यदि कोई हों, पूरा करने के लिए ऐसे साधारण लेखे में जमा किए गए धन में से कोई राशि उपयोजित कर सकेगा, अथवा यान मार्गदर्शन लेखा को किसी आधिक्य निधि को पूर्णतया या भागतः पत्तन के साधारण लेखा को अन्तरित कर सकेगा।]

(6) पत्तन निधि लेखा <sup>1</sup>[या यान मार्गदर्शन या लेखा] के जमा खाते में समय-समय पर विद्यमान अतिशेष का, ऐसी रीति में, जैसी <sup>2</sup>[सरकार] निर्दिष्ट करे अस्थायी रूप से विनिधान किया जा सकेगा। ऐसा विनिधान अतिशेषों के निष्पादन की बाबत किसी स्थानीय विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

**37. पत्तनों का समूहीकरण**—(1) राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि पूर्वगामी धारा के प्रयोजनों के लिए <sup>3</sup>[राज्य में के] किन्हीं पत्तनों को <sup>4</sup>[जो महापत्तन न हों] कुल मिलाकर एक पत्तन के रूप में माना जाएगा और तदुपरि उस धारा की उपधारा (4) के अधीन पत्तन निधि लेखा जमा खाते किए जाने वाले सब धन एक सामान्य पत्तन निधि लेखा के रूप में होंगे और उन पत्तनों में से किसी के लिए उपगत सब व्ययों के संदाय के लिए उपलब्ध होंगे:

4\* \* \* \*

(2) जहां पत्तनों को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन समूहीकृत कर दिया जाए वहां उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:—

(क) राज्य सरकार, सामान्य पत्तन निधि खाते में से विकलनीय व्ययों पर अपने नियंत्रण का प्रयोग करते हुए, समूह के विभिन्न पत्तनों के लिए <sup>5\*\*\*</sup> इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर निधि में से व्ययों की बाबत नियम बना सकेगी <sup>5\*\*\*</sup>, और

(ख) राज्य सरकार समूह में के सब पत्तनों की बाबत सामूहिक रूप से अथवा उनमें से किसी बाबत पृथक्: धारा 34 के अधीन अपने प्राधिकार का प्रयोग कर सकेगी।

**38. पत्तन प्रभारों की प्राप्ति**—वह व्यक्ति जिसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन लिए जाने के लिए प्राधिकृत कोई पत्तन-शुल्क फीस या अन्य प्रभार संदत्त किए जाएं, उस व्यक्ति को जो उनका संदाय करे, स्वहस्त लिखित एक समुचित वाउचर देगा, जिसमें उसके कार्यालय का नाम, वह पत्तन या स्थान जहां शुल्क, फीस या अन्य प्रभार संदत्त किए गए हैं और उस जलयान का, जिसकी बाबत संदाय किए जाएं, नाम, टन-भार और अन्य समुचित विवरण दिए जाएंगे।

**39. मास्टर द्वारा पहुंच की रिपोर्ट देना**—(1) इस अधिनियम के अधीन पत्तन-शुल्कों के संदाय के दायित्वाधीन, जलयान का मास्टर, इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन की सीमाओं में जलयान के पहुंचने के पश्चात् चौबीस घंटे के भीतर अपनी पहुंच की रिपोर्ट पत्तन के संरक्षक को देगा।

(2) वह मास्टर जो उपर्युक्त समय के भीतर ऐसी रिपोर्ट देने में बिना किसी विधिपूर्ण कारण के असफल रहेगा, प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के अधीन पत्तनों में से किसी में आने वाले या उससे जाने वाले टग स्टीमरों, फेरी स्टीमरों और नदी स्टीमरों को लागू नहीं है <sup>6\*\*\*</sup>।

**40. संरक्षक द्वारा कतिपय दशाओं में डुबाव अभिनिश्चित करना और मास्टर पर उसके व्यय प्रभारित करना**—पत्तन शुल्कों के संदाय के दायित्वाधीन किसी जलयान के अग्रभाग और पृष्ठभाग के स्थानों पर यदि उसके डुबाव को दर्शाने वाले समुचित चिह्न नहीं हैं तो संरक्षक हुकिंग की संक्रिया के माध्यम से उसका डुबाव अभिनिश्चित कर सकेगा, और जलयान का मास्टर संक्रिया के व्ययों के संदाय के लिए दायी होगा।

**41. पत्तन-शुल्क के दायित्वाधीन जलयानों के टन-भार का अभिनिश्चय**—पत्तन-शुल्कों के संदाय के दायित्वाधीन किसी जलयान का टन-भार अभिनिश्चित करने में निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया जाएगा, अर्थात्:—

(1) (क) यदि जलयान ब्रिटेन में रजिस्ट्रीकृत जलयान है या इंडियन रजिस्ट्रेशन आफ शिप्स ऐक्ट, 1841 (1841 का 10) या इण्डियन रजिस्ट्रेशन आफ शिप्स ऐक्ट (1841) अमेण्डमेंट ऐक्ट, 1850 (1850 का 11) के अधीन, या <sup>7</sup>[भारत] में जलयानों का रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान है तो संरक्षक जलयान के स्वामी या मास्टर से अथवा उस जलयान के रजिस्टर के कब्जाधारी किसी व्यक्ति से रजिस्टर को निरीक्षण के लिए पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा;

<sup>1</sup> 1951 के अधिनियम सं० 35 की धारा 191 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया।

<sup>5</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

<sup>6</sup> भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

<sup>7</sup> "ब्रिटिश भारत" शब्द भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 और 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अनुक्रमशः प्रतिस्थापित करके उक्त रूप में आए।

(ख) यदि स्वामी या मास्टर या ऐसा व्यक्ति रजिस्टर पेश करने में, या संरक्षक का अन्यथा वह समाधान करने में कि उस जलयान का, जिसकी बाबत पत्तन-शुल्क देय है, सही टन-भार क्या है, अपेक्षा करता है या ऐसा करने से इंकार करता है तो वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, तथा संरक्षक जलयान का माप करा सकेगा तथा उसके टन-भार का अभिनिश्चय, ब्रिटेन के जलयानों में माप को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित परिमाण पद्धति के अनुसार, करा सकेगा और ऐसी दशा में जलयान का स्वामी या मास्टर माप कराने के व्ययों के संदाय के दायित्वाधीन भी होगा।

(2) यदि जलयान ब्रिटेन में रजिस्ट्रीकृत जलयान नहीं है या इंडियन रजिस्ट्रेशन आफ शिप्स ऐक्ट, 1841 (1841 का 10) या इंडियन रजिस्ट्रेशन आफ शिप्स ऐक्ट (1841) अमेण्डमेंट ऐक्ट, 1850 (1850 का 11) के अधीन या <sup>1</sup>[भारत] में जलयानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, रजिस्ट्रीकृत जलयान नहीं है और यदि उसका स्वामी या मास्टर संरक्षक का यह समाधान करने में असफल रहता है कि ब्रिटेन के जलयानों के माप को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित परिमाण पद्धति के अनुसार उस जलयान का सही टन-भार क्या है तो संरक्षक जलयान का माप करा सकेगा और उसके टन-भार का उपर्युक्त पद्धति के अनुसार अभिनिश्चय करा सकेगा, और ऐसी दशा में जलयान का स्वामी या मास्टर माप कराने के व्ययों के संदाय के दायित्वाधीन होगा।

(3) यदि जलयान कोई ऐसा जलयान है जिसके टन-भार का अभिनिश्चय खण्ड (1) और खंड (2) में उल्लिखित परिमाण पद्धति के अनुसार नहीं किया जा सकता तो ऐसे जलयान का टन-भार संरक्षक द्वारा ऐसा प्राक्कलन करके अवधारित किया जाएगा जैसा उसे न्यायसंगत प्रतीत हो।

**42. पत्तन प्रभारों के संदाय से इंकार करने पर करस्थम् और विक्रय—**यदि किसी ऐसे जलयान का मास्टर जिसकी बाबत कोई पत्तन-शुल्क, फीस या अन्य प्रभार इस अधिनियम के अधीन संदेय हैं, मांग किए जाने पर उनका संदाय करने से इंकार करता है या उसमें उपेक्षा करता है तो ऐसे पत्तन-शुल्कों, फीसों या अन्य प्रभारों को प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया प्राधिकारी जलयान को तथा उसके नौकोपकरणों, पोत सज्जाओं और फर्नीचर को या उनके किसी भाग को करस्थम् कर सकेगा या बन्दी बना सकेगा तथा उन्हें तब तक परिरुद्ध रख सकेगा जब तक शोध्य रकम का संदाय नहीं कर दिया जाए;

और यदि पत्तन-शुल्कों, फीसों या अन्य प्रभारों का कोई भाग अथवा करस्थम् या बन्दी बनाने के खर्चों का अथवा करस्थम् किए गए या बन्दी बनाए गए जलयान या अन्य वस्तुओं को रखने के खर्चों का कोई भाग, ऐसे करस्थम् करने या बन्दी बनने के पश्चात् आगामी पांच दिनों की अवधि तक असंदत्त रहता है तो करस्थम् किए गए या बन्दी बनाए गए जलयान या अन्य वस्तुओं का विक्रय करा सकेगा तथा ऐसे विक्रय आगमों में से पत्तन-शुल्कों, फीसों या अन्य प्रभारों तथा खर्चों को, जिसके अंतर्गत विक्रय के असंदत्त खर्च भी हैं पूरा कर सकेगा, तथा आधिक्य को, यदि कोई हो, मांग किए जाने पर, जलयान के मास्टर को सौंप देगा :

<sup>2</sup>[परन्तु जहां ऐसे जलयान या अन्य वस्तु को किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के आदेश के अधीन पहले ही बंदी बना लिया गया है, वहां पत्तन-शुल्क, फीसों या अन्य प्रभारों को प्राप्त करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी, ऐसे न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही जलयान या अन्य वस्तु का विक्रय कर सकेगा और पत्तन-शुल्क, फीसों या अन्य प्रभार तथा खर्चों, जिनके अंतर्गत विक्रय के असंदत्त रहे खर्च भी हैं चुका सकेगा और अधिशेष, यदि कोई है, का संवितरण ऐसे न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के आदेशों या निदेशों के अनुसार कर सकेगा:

परन्तु यह और कि वह व्यक्ति, जिसको इस धारा के अधीन जलयान या अन्य चीज का विक्रय किया गया है, उसका स्वामी समझा जाएगा और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा।]

**43. पत्तन प्रभारों का संदाय न होने तक पत्तन से निकासी की अनुमति न देना—**<sup>3</sup>[सरकार] का वह अधिकारी जिसका यह कर्तव्य है कि वह किसी जलयान को पत्तन निकासी मंजूर करे तब तक ऐसी मंजूरी नहीं करेगा जब तक—

(क) जलयान का स्वामी या मालिक, अथवा कोई अन्य व्यक्ति सभी पत्तन-शुल्कों, फीसों और अन्य प्रभारों तथा ऐसे सभी जुर्मानों, शास्तियों और व्ययों की रकम का, जिनके लिए जलयान या उसका स्वामी या मास्टर इस अधिनियम के अधीन दायी है, संदाय नहीं कर देता या उस रकम को ऐसे अधिकारी के समाधानप्रद रूप से प्रतिभूत नहीं कर देता;

(ख) वे सब व्यय जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1894 (57 और 58 विक्टो, सी० 60) की धारा 207 के अधीन जलयान के स्वामी द्वारा वहन किए जाने और जलयान के उस पत्तन में, जहां से वह निकासी चाहता है; पहुंच के पश्चात् उपगत किए गए हैं, संदत्त नहीं कर दिए जाते।

**44. पत्तन में संदेय पत्तन प्रभारों का किसी अन्य पत्तन में वसूलीय होना—**(1) यदि किसी ऐसे जलयान का मास्टर, जिसकी बाबत पूर्वगामी धारा में उल्लिखित कोई राशि संदेय है, उस राशि का संदाय किए बिना ही, पत्तन से जलयान को छोड़ देता है तो उस

<sup>1</sup> “ब्रिटिश भारत” शब्द भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 और 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अनुक्रमशः प्रतिस्थापित करके उक्त रूप में आए।

<sup>2</sup> 1992 के अधिनियम सं० 23 की धारा 7 द्वारा (12-8-1992 से) अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “सरकार” शब्द अनुक्रमशः प्रतिस्थापित करके उक्त रूप में आया।

पत्तन पर पत्तन-शुल्कों, सभी फीसों और अन्य प्रभारों को प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, <sup>1</sup>[भारत] में किसी ऐसे अन्य पत्तन पर, जिसकी ओर वह जलयान अग्रसर होता है, अथवा जिसमें वह है, उस पत्तन पर पत्तन-शुल्कों, फीसों और अन्य प्रभारों को प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए प्राधिकारी से उस राशि को उद्गृहीत करने की लिखित रूप में, अपेक्षा कर सकेगा।

(2) वह प्राधिकारी, जिससे ऐसी अध्यादेश निर्दिष्ट की जाए, ऐसी रकम को धारा 42 में विहित रीति में उद्गृहीत करने के लिए अग्रसर होगा, और उस प्राधिकारी द्वारा, जो उस पत्तन पर, जहां पूर्वगामी धारा में उल्लिखित राशि संदेय हुई हो, पत्तन-शुल्कों, फीसों और अन्य प्रभारों को ग्रहण करने के लिए नियुक्त किया गया है, तैयार किया गया तात्पर्यित प्रमाणपत्र, जिसमें संदेय रकम का उल्लेख हो, धारा 42 के अधीन किसी कार्यवाही में तथा (संदेय रकम की बाबत विवाद किए जाने की दशा में धारा 59 के अधीन किसी पश्चात्कर्ती कार्यवाही में भी) ऐसी रकम का पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या सबूत होगा।

**45. पत्तन प्रभारों के संदाय के अपवंचन के लिए शास्ति—**(1) यदि जलयान का मास्टर किसी ऐसी राशि के संदाय का, जो धारा 43 में उल्लिखित है, अपवंचन करता है तो वह जुर्माने से, जो उस राशि के पांच गुने तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभियोजन होने पर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी कार्यवाही में ऐसा कोई प्रमाणपत्र जैसा धारा 44 की उपधारा (2) में उल्लिखित है, जिसमें यह अधिकथित हो कि मास्टर ने ऐसे संदाय का अपवंचन किया है, तब तक अपवंचन का पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या सबूत होगा जब तक मास्टर मजिस्ट्रेट के समाधानप्रद रूप से यह नहीं दर्शाता कि राशि का संदाय किए बिना जलयान के प्रस्थान का कारण मौसम की खराबी था अथवा ऐसे प्रस्थान के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण या युक्तियुक्त आधार था।

(3) जलयान जिस पत्तन की ओर अग्रसर होता है या जिसमें वह पाया जाता है, उस पत्तन पर इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट की बाबत यह समझा जाएगा कि उसे इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में अधिकारिता है।

**46. भार से लदे जलयानों पर पत्तन-शुल्क—**इस अधिनियम के अधीन <sup>2</sup>[किसी पत्तन में, जो कोई महापत्तन न हो, प्रवेश करने वाले ऐसे जलयान] पर जो <sup>3</sup>\*\*\* भार से लदा हो और यात्रियों का वहन नहीं कर रहा है, ऐसी दर पर पत्तन-शुल्क प्रभारित किया जाएगा जो <sup>4</sup>[सरकार] द्वारा अवधारित की जाए और जो उस दर के तीन-चौथाई से अधिक नहीं हो जिस दर पर वह जलयान अन्यथा प्रभार्य होता।

**47. स्थोरा न उतारने वाले या न लेने वाले जलयानों पर पत्तन-शुल्क—**<sup>5</sup>[जब कोई जलयान इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में, जो कोई महापत्तन न हो, प्रवेश करता है] किन्तु वहां स्थोरा या यात्री नहीं उतारता या लेता है (ऐसी लदाई या उतराई के सिवाय जो मरम्मत के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो) तो उस पर ऐसी दर पर पत्तन-शुल्क प्रभारित किया जाएगा जो <sup>4</sup>[सरकार] द्वारा अवधारित की जाए और जो उस दर के आधे से अधिक नहीं हो जिस दर पर वह जलयान अन्यथा प्रभार्य होता है।

**48. कतिपय दशाओं में पत्तन-शुल्क का प्रभारित न किया जाना—**निम्नलिखित की बाबत कोई पत्तन-शुल्क प्रभार्य नहीं होगा, अर्थात्:—

(क) कोई क्रीडा नौका, अथवा

(ख) कोई जलयान जो पत्तन छोड़ने के पश्चात् मौसम की खराबी के कारण या कोई नुकसान हो जाने के परिणामस्वरूप उस पत्तन में पुनः प्रवेश करने के लिए बाध्य हुआ हो, अथवा

<sup>6</sup>(ग) कोई जलयान <sup>7</sup>[जो किन्हीं ऐसे राज्यक्षेत्रों के, जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व मद्रास और आंध्र राज्यों में समाविष्ट थे] किसी पत्तन में या उड़ीसा राज्य में गोपालपुर पत्तन में] प्रवेश करने के पश्चात् वहां कोई यात्री या स्थोरा उतारे या लिए बिना अड़तालीस घंटे के भीतर उसे छोड़ देता है।

**49. अस्पताल पत्तन-शुल्क अधिरोपित करने की शक्ति—**(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे पत्तन में प्रवेश करने वाला प्रत्येक जलयान, जिससे उचित दूरी के भीतर ऐसा कोई सार्वजनिक अस्पताल या औषधालय है जो ऐसे नागरिकों को ग्रहण करने के लिए या उन्हें राहत पहुंचाने के लिए उपयुक्त है, जिनके लिए चिकित्सीय सहायता अपेक्षित है, एक आना प्रति टन से अनधिक ऐसे अतिरिक्त पत्तन-शुल्क का संदाय करेगा जैसा <sup>3</sup>[केन्द्रीय सरकार] ठीक समझे।

<sup>1</sup> भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, विधि अनुकूलन आदेश, 1950 और 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "ब्रिटिश भारत" शब्द अनुक्रमशः प्रतिस्थापित करके उक्त रूप में आए।

<sup>2</sup> 1997 के अधिनियम सं० 15 की धारा 7 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

<sup>4</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> 1997 के अधिनियम सं० 15 की धारा 8 द्वारा (9-1-1997 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>6</sup> 1950 के अधिनियम सं० 35 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>7</sup> विधि अनुकूलन (संख्यांक 2) आदेश, 1956 द्वारा "मद्रास राज्य या आंध्र राज्य में" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधोरेखांकित शब्दों को आंध्र (संघीय विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1956 द्वारा (1-10-1953 से) अंतःस्थापित किया गया।

(2) ऐसा पत्तन-शुल्क अस्पताल पत्तन-शुल्क कहलाएगा तथा <sup>1</sup>[केन्द्रीय सरकार] उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करते समय, धारा 36 की उपधारा (5) के खंड (घ) के अधीन किए गए किन्हीं अभिदायों को ध्यान में रखेगी।

(3) अस्पताल पत्तन-शुल्कों को अधिरोपित करने वाला या उनमें परिवर्तन करने वाला कोई आदेश उस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से साठ दिन के अवसान पर्यन्त प्रभावी नहीं होगा।

(4) जब कभी <sup>1</sup>[केन्द्रीय सरकार] का यह समाधान हो जाए कि किसी वर्ग के जलयानों के स्वामियों या अभिकर्ताओं ने ऐसे वर्ग के जलयानों के फलक पर नियोजित नाविकों को चिकित्सीय सहायता देने के लिए उचित व्यवस्था कर दी है, या जलयानों के किसी वर्ग की दशा में ऐसी व्यवस्था आवश्यक नहीं है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे वर्ग के जलयानों को इस धारा के अधीन किसी संदाय से छूट दे सकेगी।

**50. अस्पताल पत्तन-शुल्कों का उपयोजन और लेखा—**(1) अस्पताल पत्तन-शुल्कों का उपयोजन <sup>2</sup>[केन्द्रीय सरकार] के निदेशानुसार, उपर्युक्त किसी अस्पताल या औषधालय की सहायता के लिए अथवा उस पत्तन में, जिसमें वे उद्गृहीत किए जाएं, पोत परिवहन के लिए और पत्तन में जलयानों के नाविकों के लिए, चाहे वह तट पर हों या यात्रा में, स्वास्थ्य संबंधी अधीक्षण और चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए किया जाएगा।

(2) <sup>1</sup>[केन्द्रीय सरकार] ऐसे प्रत्येक पत्तन पर, जहां अस्पताल पत्तन-शुल्क संदेय है, प्रति वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र ऐसे पत्तन-शुल्कों के रूप में प्राप्त की गई रकम का, गत वित्तीय वर्ष के लिए लेखा तथा ऐसी प्राप्तियों पर प्रभारित व्ययों का लेखा राजपत्र में प्रकाशित करेगी।

(3) ऐसा लेखा धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित संक्षिप्त के अनुपूरक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

## अध्याय 6

### संकेत फहराना

**51. मास्टर द्वारा यान के संख्यांक का फहराया जाना—**(1) आने और जाने वाले प्रत्येक जलयान का मास्टर हुगली नदी की सीमाओं के भीतर, या इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन की ओर जाने वाली नदी या जलसरणी के किसी भाग की सीमाओं के भीतर, स्थापित संकेत स्टेशन की संकेत दूरी के भीतर पहुंचने पर, भारसाधक पाइलट की अध्यक्षता पर जलयान के नाम का, उस संख्यांक को जिससे वह जलयान ज्ञात है, फहराएगा अथवा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अन्य साधन अपनाकर जो व्यवहार्य और प्रचलित हो, संज्ञापित करेगा तथा तब तक संकेत फहराता रहेगा जब तक संकेत स्टेशन से उसका उत्तर नहीं मिल जाता।

(2) उपर्युक्त रूप से पहुंचने वाले जलयान का मास्टर यदि उपधारा (1) का अतिवर्तन करता है तो वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**52. पाइलट द्वारा मास्टर से संख्यांक फहराने की अपेक्षा करना—**(1) जलयान का भारसाधक प्रत्येक पाइलट पूर्वगामी धारा द्वारा उपबंधित के अनुसार जलयान के संख्यांक का सम्यक् रूप से संकेत देने की अपेक्षा करेगा।

(2) पाइलट द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर यदि मास्टर जलयान के संख्यांक को फहराने से या उनके नाम को ऐसे अन्य साधन से, जो व्यवहार्य और प्रचलित हो, विदित कराने से इंकार करता है तो पाइलट प्रथम सुरक्षित लंगर-स्थान पर पहुंचते ही जलयान का लंगर डाल देगा और तब तक के लिए अपने मार्ग पर अग्रसर होने से इंकार कर देगा जब तक ऐसी अध्यक्षता का अनुपालन नहीं हो जाता।

**53. पाइलट द्वारा अवज्ञा की दशा में शास्ति—**जलयान का भारसाधक कोई पाइलट जो इस अध्याय के उपबंधों में से किसी अवज्ञा करता है, या अवज्ञा का दुष्प्रेरण करता है, जुर्माने से, जो प्रत्येक बार ऐसी अवज्ञा या दुष्प्रेरण के लिए पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा, तथा इसके अतिरिक्त पाइलट के रूप में अपने अधिकार के प्रतिसंहृत किए जाने के दायित्वाधीन भी होगा।

## अध्याय 7

### शास्तियों की बाबत उपबंध

**54. सरकार के नियमों और आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति—**यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे नियम या आदेश की अवज्ञा करता है जो <sup>1</sup>[सरकार] ने इस अधिनियम के अनुसरण में बनाया है और जिस अवज्ञा के लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है तो वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**55. अपराधों के विचारण तथा शास्तियों की वसूली की रीति—**इस अधिनियम के विरुद्ध सब अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे और कोई भी मजिस्ट्रेट किसी जलयान के स्वामी या मास्टर पर, जलयान के फलक पर किए गए या उसके प्रबंध के संबंध में या उससे संबंधित से अन्यथा किए गए, किसी अपराध के लिए, जिसका कि वह स्वामी या मास्टर सिद्धदोष पाया जाए, अधिरोपित किसी जुर्माने की रकम को, अपने हस्ताक्षर सहित वारंट द्वारा, जलयान के, तथा उसके नौकोपकरणों, पोतसज्जाओं और फर्नीचर के, या उनके उतने भाग के जितना आवश्यक हो, करस्थम् और विक्रय द्वारा उद्गृहीत करा सकेगा।

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**56. दोषसिद्धि के खर्चे**—(1) सिद्धदोष ठहराने वाला मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन किसी दोषसिद्धि की दशा में अपराधी को आदेश दे सकेगा कि वह उस जुर्माने, या उन व्ययों के अतिरिक्त जिनके लिए वह दायी हो, दोषसिद्धि के खर्चों का संदाय करे।

(2) ऐसे खर्चे मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे और उसी रीति में वसूल किए जा सकेंगे जैसे इस अधिनियम के अधीन कोई जुर्माना।

**57. इस अधिनियम के अधीन संदेय व्ययों और नुकसानियों का अधिनिश्चय और वसूली**—(1) यदि किसी मामले में इस अधिनियम के अधीन व्ययों या नुकसानियों के रूप में संदत्त किए जाने वाले राशि के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह विवादकारी पक्षकारों में से किसी के द्वारा इस प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट को किए गए आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(2) जब भी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन व्ययों या नुकसानियों के रूप में एक हजार रुपए से अनधिक किसी राशि का संदाय करने के लिए दायी हो तब कोई भी मजिस्ट्रेट, उस प्राधिकारी द्वारा जिसे वह राशि संदेय है, उसे आवेदन किए जाने पर, उस राशि को, संदाय प्रवर्तित करने के किन्हीं अन्य साधनों के अतिरिक्त या उनकी बजाय, इस प्रकार वसूल कर सकेगा मानो वह कोई जुर्माना हो।

**58. करस्थम् के खर्चे**—जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई जुर्माना, व्यय या नुकसानी करस्थम् और विक्रय द्वारा उद्गृहीत किया जाए तब करस्थम् और विक्रय के खर्चे, ऐसे जुर्माने, व्यय या नुकसानी अतिरिक्त तथा उन्हीं की रीति में, उद्गृहीत किए जा सकेंगे।

**59. उद्गृहीत की जाने वाली रकम के विवाद की दशा में मजिस्ट्रेट द्वारा उसका अवधारण**—यदि इस अधिनियम के अधीन करस्थम् करके या बन्दी बनाकर उद्ग्रहणीय रकम की बाबत या पूर्वगामी धारा के अधीन संदेय खर्चों की बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो करस्थम् करने वाला या बन्दी बनाने वाला व्यक्ति करस्थम् किए गए या बन्दी बनाए गए माल को, अथवा उसके विक्रय के आगमों को तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक उद्गृहीत की जाने वाली रकम मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित नहीं कर दी जाए। मजिस्ट्रेट, उस प्रयोजन के लिए आवेदन किए जाने पर, रकम का अवधारण कर सकेगा और पक्षकारों में से किसी अन्य पक्षकार को उतना खर्च दिला सकेगा जितना वह उचित समझे तथा यदि मांग करने पर ऐसे खर्चों का संदाय नहीं किया जाता तो वह उसी प्रकार प्रवर्तित किया जाएगा जैसे जुर्माना।

**60. अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के परे अपराधों पर अधिकारिता**—(1) जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में इस अधिनियम के उपबंधों का अतिवर्तन करेगा वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा दंडनीय होगा जिसकी उस पत्तन से लगे हुए किसी जिले या स्थान पर अधिकारिता है।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट की सब शक्तियों का उसी रीति में और उसी विस्तार तक प्रयोग कर सकेगा मानो, इस बात के होते हुए भी कि अपराध ऐसी सीमाओं के भीतर स्थानीय तौर पर नहीं किया गया है, वह अपराध उसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर स्थानीय तौर पर किया गया हो, तथा उस दशा में जब कोई ऐसा मजिस्ट्रेट उसे इस धारा द्वारा निहित अधिकारिता का प्रयोग करता है, वह अपराध, सभी प्रयोजनों के लिए, उसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर स्थानीय तौर पर किया गया समझा जाएगा।

**61. दोषसिद्धि का केवल गुणावगुण के आधार पर मंसूख किया जाना**—(1) किसी मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम के अधीन ठहराई गई कोई दोषसिद्धि या दिया गया कोई आदेश या निर्णय प्ररूप या प्रक्रिया की गलती के लिए मंसूख नहीं होगा अपितु, गुणावगुण के आधार पर मंसूख होगा, तथा दोषसिद्धि, आदेश निर्णय में प्रत्यक्षतः उस साक्ष्य का कथन करना आवश्यक नहीं होगा जिस पर वह आधारित है।

(2) यदि दोषसिद्धि, आदेश या निर्णय से प्रत्यक्षतः कोई अधिकारिता प्रतीत नहीं होती है किन्तु लिए गए अभिसाक्ष्य से वह कमी पूरी हो जाती है तो अभिसाक्ष्य से जो कुछ प्रकट होता है उससे दोषसिद्धि, आदेश या निर्णय को समर्थन मिलेगा।

## अध्याय 8

### अनुपूरक उपबंध

**62. पत्तन में विधिविरुद्ध ध्वजा फहराना**—(1) यदि <sup>1</sup>[किसी भारतीय या कामनवैल्थ नागरिक का] कोई जलयान, अथवा <sup>2</sup>[भारतीय या ब्रिटेन की ध्वजा] के अंतर्गत नौवहनित कोई जलयान इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई ऐसा ध्वज, झंडा, पताका या ध्वजा फहराता है, वहन करता है या लगाता है जिसका ऐसे यान के फलक पर प्रयोग वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1894 (57 और 58 विक्टो०, सी० 60) द्वारा अथवा किसी अन्य कानून द्वारा जो तत्समय प्रवृत्त है या इसके पश्चात् प्रवृत्त हो, अथवा किसी ऐसी उद्घोषणा द्वारा, जो ऐसे कानून के अनुसरण में की गई है, या की जाए अथवा तत्समय प्रवृत्त

<sup>1</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मजेस्टी की किसी प्रजा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "ब्रिटेन की ध्वजा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1[विनियमों] में से किसी द्वारा, प्रतिषिद्ध है तो जलयान का मास्टर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा।

(2) ऐसा जुर्माना ऐसे अपराध की बाबत वसूलीय किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त होगा।

(3) पत्तन का संरक्षक या 2[भारतीय नौसेना] का कोई आफिसर किसी ऐसे जलयान के फलक पर प्रवेश कर सकेगा और उसके फलक पर विधिविरुद्ध फहराए गए, वहनित या लगाए गए ध्वज, झंडे, पताका या ध्वजा को अभिगृहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा।

**63. विदेशी अभित्याजक**—कोई मजिस्ट्रेट, किसी ऐसी विदेशी शक्ति की कौंसल द्वारा, जिसे वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1894 (57 और 58 विक्टो० सी० 60) की धारा 238 किसी कौंसलीय आदेश 3[या आदेश] द्वारा लागू घोषित की गई है या इसके पश्चात् घोषित की जाए अथवा ऐसी कौंसल के प्रतिनिधि द्वारा आवेदन किए जाने पर तथा ऐसी विदेशी शक्ति के किसी जलयान के किसी नाविक की, जो दास नहीं है, शब्द पूर्व किए गए वर्णन की शिकायत पर, किसी ऐसे अभित्याजक को पकड़ने के लिए वारंट तब जारी कर सकेगा जब ऐसे कौंसलीय आदेश 3[या आदेश] का प्रतिसंहरण सार्वजनिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है, तथा अभित्याग को सम्यक् सबूत पर उसे उस जलयान के फलक पर लौटने का, जिसका कि वह है, अथवा कौंसल के कहने पर, तब तक जब तक जलयान नौवहन के लिए तैयार नहीं हो जाता, अथवा, यदि जलयान नौवहनित हो चुका है तो, एक मास से अनधिक उचित समय के लिए, अभिरक्षा में निरुद्ध रखने का आदेश दे सकेगा:

परंतु यह तब जब निरुद्धता के दौरान अभित्याजक के निर्वाह के लिए उतनी राशि; जितनी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझता है, पहले जमा कर दी जाए और अभित्याजक को बारह सप्ताह से परे निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

**64. धारा 10 और धारा 21 का लागू होना**—(1) धारा 10 और धारा 21 के उपबंध ऐसे सभी पत्तनों को लागू होंगे जो इसके पूर्व या इसके पश्चात् 4[सरकार] द्वारा पोत परिवहन और माल के लदान के लिए, किन्तु अन्य बात के लिए नहीं इस अधिनियम के अधीन पत्तनों के रूप में घोषित कर दिए गए हैं या किए जाएं तथा उक्त उपबंध ऐसे किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रवर्तित किए जा सकेंगे जिसकी साधारण अधिकारिता के अधीन कोई ऐसा पत्तन है।

(2) उसके द्वारा उक्त उपबंधों के अधीन अधिरोपित कोई शास्तियां और उसके आदेश से उपगत कोई व्यय क्रमशः धारा 55 और धारा 57 में उपबंधित रीति में वसूलीय होंगे।

(3) माल के पोत परिवहन और लदान के लिए उक्त पत्तनों में से किसी में धारा 21 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट सहमति ऐसे पत्तन पर सीमाशुल्क के प्रधान अधिकारी द्वारा, या 4[सरकार] द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा, दी जा सकेगी।

**65. नाविक संस्थानों के लिए स्थानों की मंजूरी**—कोई स्थानीय प्राधिकारी, जिसमें किसी पत्तन में या उसके निकट स्थित कोई स्थावर संपत्ति निहित है, 5[किसी महापत्तन के छावनी प्राधिकारी या पत्तन प्राधिकारी के मामले में केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से और अन्य मामलों में, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से] किसी संपूर्ण संपत्ति को या उसके किसी भाग को नाविकों के स्वास्थ्य, मनोरंजन और ऐहिक कल्याण के लिए नाविक विश्राम घर या अन्य संस्थान के लिए स्थल के रूप में या उस रूप में प्रयोग के लिए विनियोजित कर सकता है तथा उसे प्रतिधारित और उपयोजित कर सकता है, अथवा उसका दान के रूप में या अन्यथा अंतरण कर सकता है।

**66. संरक्षक की शक्तियों का उसके सहायकों द्वारा प्रयोग**—(1) वे सभी कार्य, आदेश या निदेश जो इस अधिनियम द्वारा किसी संरक्षक द्वारा किए जाने के लिए या दिए जाने के लिए प्राधिकृत है, उसके नियंत्रण के अधीन रहते हुए, किसी बंदरगाह मास्टर या ऐसे संरक्षक या बंदरगाह मास्टर के किसी उप या सहायक द्वारा किए जा सकेंगे या दिए जा सकेंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम द्वारा कोई कार्य करने के लिए प्राधिकृत है, अपने सहायक के लिए ऐसी सहायता प्राप्त कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे।

**67. निदेशों की लिखित सूचनाओं की तामील**—इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी निदेश की उस लिखित सूचना के बारे में, जो किसी जलयान के मास्टर के लिए उस जलयान के फलक पर नियोजित किसी व्यक्ति के पास छोड़ी जाए अथवा फलक पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगा दी जाए, यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस जलयान के मास्टर को दे दी गई है।

**68. सरकार के आदेशों का प्रकाशन**—इस अधिनियम के अनुसरण में की गई प्रत्येक 4[सरकारी] घोषणा, आदेश और नियम राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी, और उसकी एक प्रति सीमाशुल्क कार्यालय में, यदि कोई है, रखी जाएगी तथा प्रत्येक व्यक्ति सभी उचित समयों पर, किसी फीस का संदाय किए बिना, उसका निरीक्षण कर सकेगा।

1 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मजेस्टी के विनियमों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मजेस्टी की नेवी या रायल इंडियन नेवी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अंतःस्थापित।

4 भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार की पूर्व मंजूरी से" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>1</sup>[68क. पत्तनों में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों द्वारा पत्तन की रक्षा के लिए चालें चलने में सहयोग देना—किसी ऐसे पत्तन में जिसे यह अधिनियम तत्समय लागू है, या उसके संबंध में, किन्हीं शक्तियों या अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रत्येक प्राधिकारी, तब जब केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, ऐसी रीति से जैसी ऐसे अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाए, युद्ध के समय में उक्त पत्तन की रक्षा के लिए किसी स्कीम या तैयारी से संबंधित कोई चालें चलने में सहयोग देगा, तथा यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो, अपने कर्मचारिवृन्द में से किन्हीं की सेवाएं और अपने जलयानों, संपत्ति, उपस्कर या अन्य सामग्री में से किसी का उपयोग ऐसे अधिकारी के जिम्मे इस प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से लगा देगा:

परन्तु पहली बात यह कि यदि कोई जलयान इस धारा के अनुसरण में ऐसे अधिकारी के जिम्मे लगाए जाते हैं तो उस अवधि की बाबत जिसके दौरान वे इस प्रकार उसके जिम्मे हैं, उन जलयानों का चालू व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करेगी, और उनकी किसी क्षति के लिए भी उत्तरदायी होगी।

**स्पष्टीकरण**—इस परन्तुक में “चालू व्यय” पद में जलयानों को किराए पर लेने के किन्हीं प्रभारों से भिन्न उनके उपयोग की बाबत उपगत सब लागत या ऐसे जलयानों के अधिकारियों और कर्मिदल की मजदूरियों के लिए उपगत सब लागत आती है:

परन्तु दूसरी बात यह कि इस धारा के अधीन अध्यपेक्षा करने वाला कोई अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से करेगा जिससे पत्तन के सामान्य कारबार में कम से कम विघ्न हो और उतना ही विघ्न जितना कि दक्षतापूर्वक चालें चलने की आवश्यकता के अनुरूप हो:

परन्तु तीसरी बात यह है कि इस धारा के अधीन अध्यपेक्षा का अनुपालन करने मात्र के कारण होने वाली किसी त्रुटि के लिए किसी प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं लाई जाएगी।

**68ख. आपात में उक्त प्राधिकारियों के कर्तव्य**—जब कभी केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसी आपातस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण यह आवश्यक है कि धारा 68क में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उस धारा में उल्लिखित प्राधिकारियों पर अधिरोपित कर्तव्य आपात विद्यमान रहने के दौरान निरन्तर ऐसे प्राधिकारियों पर अधिरोपित किए जाने चाहिए तो केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी अधिकारी को उक्त प्राधिकारियों द्वारा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन तब तक करने की अपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जब तक केन्द्रीय सरकार की यह राय नहीं हो कि आपातस्थिति बीच चुकी है, और उक्त प्राधिकारी तदनुसार अनुपालन करेगा, तथा उक्त धारा के उपबन्ध निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार उस प्राधिकारी को जिससे अध्यपेक्षा की गई है, ऐसी अध्यपेक्षा के कारण होने वाली किसी हानि की क्षति के लिए और उस अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में की गई किन्हीं सेवाओं के लिए या उपगत व्यय के लिए उतना प्रतिकर देगी जितना, किसी करार के व्यतिक्रम में, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित व्यक्ति के माध्यस्थत्व द्वारा, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायसंगत और उचित विनिश्चित किया जाए, तथा ऐसे व्यक्ति का विनिश्चय अंतिम होगा।]

<sup>2</sup>[68ग. अधिनियम के कतिपय उपबंधों का वायुयानों को लागू होना—(1) धारा 6, धारा 13 से धारा 16 (दोनों को सम्मिलित करते हुए), धारा 18, धारा 21 और धारा 28, धारा 31 की उपधारा (2) और धारा 33, 34, 35, 39, धारा 42 से धारा 48 (दोनों को सम्मिलित करते हुए) और धारा 55 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन का उपयोग करने वाले सब वायुयानों की बाबत, तब जब वे जल पर हों उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे जलयानों की बाबत लागू हैं।

(2) कोई ऐसा वायुयान इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में तब तक प्रवेश नहीं करेगा या तब तक उसे नहीं छोड़ेगा जब तक पत्तन के संरक्षक द्वारा, या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे संरक्षक इस निमित्त प्राधिकृत करे, ऐसी अनुज्ञा नहीं दे दी जाती।]

<sup>3</sup>[68घ. समुद्रीय सुरक्षा—भारत में कोई पत्तन सुविधा, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अध्याय 9ख या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट सभी अपेक्षाओं का, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, अनुपालन करेगी।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “पत्तन सुविधा” पद का वही अर्थ है, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के भाग 9ख में है।]

**69. [निरसित।]**—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित।

<sup>1</sup> 1916 के अधिनियम सं० 6 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1951 के अधिनियम सं० 35 की धारा 192 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 2007 के अधिनियम सं० 40 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।

1 प्रथम अनुसूची

(धारा 1 और धारा 33 देखिए)

पत्तन, प्रभार्य जलयान, पत्तन शुल्कों की दर और संदायों की आवृत्ति

2 भाग 1—महापत्तन

पत्तन का नाम	प्रभार्य जलयान	पत्तन शुल्क की प्रति टन दर	एक ही जलयान की बाबत फीस कितनी बार प्रभार्य है
(1)	(2)	(3)	(4)
कलकत्ता	3*	*	*
पारादीप	3*	*	*
विशापत्तनम	3*	*	*

स्पष्टीकरण :—“बाह्य बंदरगाह” से निम्नलिखित निर्देशकों सहित विशाखापत्तनम पत्तन सीमा का प्रभाग अभिप्रेत है, अर्थात् :—

पश्चिम : डाल्फिन नोज ग्राम के एस० सं० 9 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ एस० सं० 3, 4, 9 और 10 के मिलन बिन्दु अर्थात् अक्षांश नं० 17° 41' 11" 3 उत्तर और देशांतर 83° 17' 35" पूर्व बिन्दु से चैनल के आरपार वहां तक खींची गई रेखा जहां वह टी० नं० 469 में नगरपालिका सीमा रेखा से अर्थात् अक्षांश 17° 41' 17" 3 उत्तर और देशांतर 83° 17' 35" पूर्व बिंदु पर मिलती है और वहां से उत्तर की ओर डाल्फिन नोज ग्राम के एस० सं० 10 और 12 की क्षेत्रसीमा के साथ-साथ विशाखापत्तनम नगर के फोर्ट वार्ड के टी० एस० 303 के दक्षिण-पूर्वी बिंदु तक फिर वहां से उत्तर पूर्व की ओर वीच रोड के पूर्व छोर के साथ-साथ अक्षांश 17° 14' 47" उत्तर और देशांतर 83° 18' 03" 4 पूर्व बिन्दु पर ग्रायने नं० 2 के पश्चिमी छोर से मिलती है।

उत्तर : अक्षांश 17° 41' 47" उत्तर तथा देशांतर 83° 18' 03" 4 पूर्व बिन्दु से ग्रायने नं० 2 के बीच की रेखा के साथ-साथ पूर्व की ओर वहां तक जहां वह अक्षांश 17° 41' 32" 6 उत्तर और देशांतर 83° 18' 20" 8 पूर्व के ईस्ट ब्रेक वाटर से मिलती है।

पूर्व : अक्षांश 17° 41' 32" .6 उत्तर और देशांतर 83° 18' 29" .8 पूर्व बिंदु से ईस्ट ब्रेक वाटर साउथ तथा अक्षांश 17° 41' 14" उत्तर और देशांतर 83° 18' 29" .3 पूर्व पर मिलने वाले बिन्दु से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा और वहां से दक्षिण पूर्व की ओर उस बिन्दु तक खींची गई रेखा जहां वह अक्षांश 17° 41' 01" .43 उत्तर और देशांतर 83° 18' 49" .12 पूर्व पर साउथ ब्रेक वाटर के पूर्वी छोर से मिलती है।

दक्षिणी : अक्षांश 17° 41' 01" .43 उत्तर देशांतर 83° 18' 49" .2 पूर्व बिन्दु से पश्चिम-दक्षिणी-पश्चिम, दिशा की ओर उस बिन्दु तक खींची गई रेखा जहां वह अक्षांश 17° 40' 36" .7 उत्तर देशांतर 83° 17' 49" .8 पूर्व बिन्दु पर डाल्फिन नोज ग्राम के एस० नं० 11 की पूर्वी सीमा से मिलती है और वहां से डाल्फिन नोज ग्राम के एस० नं० 11 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर डाल्फिन नोज ग्राम के एस० नं० 10 के कटान बिन्दु तक खींची गई रेखा और वहां से पश्चिम की ओर वहां तक खींची गई रेखा जहां वह डाल्फिन नोज ग्राम एस० सं० 3, 4, 9 और 10 के मिलन बिंदु अर्थात् लगभग अक्षांश 17° 41' 11" .3 उत्तर और देशांतर 83° 17' 35" पूर्व बिन्दु पर मिलती है।

पत्तन का नाम	प्रभार्य जलयान	पत्तन शुल्क की प्रति टन दर	एक ही जलयान की बाबत फीस कितनी बार प्रभार्य है
(1)	(2)	(3)	(4)
मद्रास	3*	*	*
न्यूतूतीकोरिन	3*	*	*
कोचीन	3*	*	*
न्यू मंगलूर	3*	*	*

<sup>1</sup> इस अनुसूची में राज्य सरकारों की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं और उसके किसी परिवर्तन के लिए संबंधित राज्य की अधिसूचनाएं देखी जानी चाहिए।

<sup>2</sup> अधिसूचना सं० सा० का० नि० 257 (अ), तारीख 1-5-1978, भारत का राजपत्र, भाग 2 अनुभाग 3(i), पृष्ठ 398 द्वारा शीर्षक और कलकत्ता तथा परादीप के महापत्तनों तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1997 के अधिनियम सं० 15 की धारा 9 द्वारा (9-1-1997 से) स्तम्भ (2), (3) और (4) की प्रविष्टियों का लोप किया गया।



(1)	(2)	(3)	(4)
मारमुगाव	<sup>1</sup> *	*	*
मुंबई	<sup>1</sup> *	*	*
कांडला	<sup>1</sup> *	*	*

भाग 2—पश्चिमी बंगाल के पत्तनों के, यदि कोई हैं, लिए आरक्षित

<sup>2</sup>[भाग 3—उड़ीसा सरकार के नियंत्रण में के पत्तन

(1)	(2)	(3)	(4)
1. चांदबल्ली (डमरा)	दस टन या उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)।  (टग नौकाएं, फेरी नौकाएं और नदी नौकाएं चाहे वे भाप द्वारा चालित हों या किसी अन्य यांत्रिक साधन द्वारा)।	एक रुपए पचास पैसे प्रतिटन से अधिक नहीं।  —यथोक्त—	एक ही मास में एक बार।  प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 30 जून के बीच एक बार और 1 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच एक बार।
2. गोपालपुर	दस टन और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)  (टग, फेरी और नदी नौकाएं, चाहे वे भाप द्वारा चालित हों या किसी अन्य यांत्रिक साधन द्वारा)।	एक रुपए चालीस पैसे प्रतिटन से अधिक नहीं।  —यथोक्त—	एक ही मास में एक बार।  प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 30 जून के बीच एक बार और 1 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच एक बार।]

<sup>3</sup>[भाग 4—आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में के पत्तन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कलिंग पत्तनम (श्री काकुलम)	42.45 घन मीटर (15 टन) और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान।	(1) किसी पत्तन पर आने वाले विदेशी पोत या स्टीमर	पंद्रह पैसे प्रति घन मीटर	पत्तन में प्रत्येक बार प्रवेश पर संदेय।
भीमनी पत्तनम (विशाखापत्तनम)		(2) किसी पोत पर एक ही समुद्रयात्रा में एक से अधिक बार आने वाले (ऊपर मद 1 में निर्दिष्ट) विदेशी पोत या स्टीमर।	पच्चीस पैसे प्रति घन मीटर	समुद्री यात्रा में एक बार संदेय।
काकीनाडा (पूर्वी-गोदावरी) नरसापुर (पश्चिमी गोदावरी) मछलीपत्तनम (कृष्णा)				

<sup>1</sup> 1997 के अधिनियम सं० 15 की धारा 9 द्वारा (9-1-1997 से) स्तम्भ (2), (3) और (4) की प्रविष्टियों का लोप किया गया।

<sup>2</sup> अधिसूचना सं० 1317-पी डी, तारीख 29-4-1978, गजट आफ उड़ीसा द्वारा जोड़ा गया।

<sup>3</sup> अधिसूचना सं० जी० ओ० एम० 253, तारीख 28-4-1978, गजट आफ आंध्र प्रदेश द्वारा जोड़ा गया।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वदारेवु (प्रकाशन) कृष्णापत्तनम) (नैल्लूर)	42.45 घन मीटर (15 टन) और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान ।	(3) किसी पत्तन पर आने वाले तटीय पोत	तेरहू पैसे प्रति घन मीटर	पत्तन पर शुल्क का संदाय करने से पोत को उसी पत्तन पर शुल्क का पुनः संदाय करने के दायित्व से आठ दिन की अवधि के लिए छूट मिल जाएगी ।
		(4) किसी पत्तन पर आने वाले तटीय स्टीमर	पंद्रहू पैसे प्रति घन मीटर	पत्तन पर शुल्क का संदाय करने से स्टीमर को उस पत्तन पर शुल्क का पुनः संदाय करने के दायित्व से तीस दिन की अवधि के लिए छूट मिल जाएगी ।]

<sup>1</sup>भाग 5—तमिलनाडु सरकार के नियंत्रण में के पत्तन

पत्तन का नाम	जिला	प्रभार्य जलयान	पत्तन शुल्क की दर जलयान की वर्ग दर	एक ही जलयान की बाबत शुल्क कितनी बार प्रभार्य है ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) कुड्डेडलूर	दक्षिण अर्काट	40 घन मीटर और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान ।	(1) किसी पत्तन पर आने वाले विदेशी पोत या स्टीमर पर 10 पैसे प्रति घन मीटर से अधिक नहीं ।	पत्तन में प्रत्येक बार प्रवेश पर संदेय, स्टेट्स स्टीमर के सिवाय जिस पर एक समुद्र यात्रा में एक से अधिक बार प्रभारित नहीं किया जाएगा ।
(2) नागापत्तनम	तंजावुर		(2) एक से अधिक पत्तन पर आने वाले विदेशी पोत या स्टीमर पर 15 पैसे प्रति घन मीटर से अधिक नहीं ।	समुद्र यात्रा के लिए एक बार संदेय ।
(3) पम्मबन	रामनाथपुरम		(3) किसी पत्तन पर आने वाले तटीय पोत पर 5 पैसे प्रति घन मीटर से अधिक नहीं ।	पत्तन पर शुल्क का संदाय करने वाले पोत को उस पत्तन पर फीस का पुनः संदाय करने के दायित्व से 60 (साठ) दिन की अवधि के लिए छूट मिल जाएगी ।
(4) रामेश्वरम				
(5) किलकराई				
(6) वेप्पलोदाई	तिरुनेलवेली		(4) किसी पतन पर आने वाले तटीय स्टीमर पर 10 पैसे प्रति घन मीटर से अधिक नहीं ।	पत्तन पर शुल्क का संदाय करने से पोत को उस पत्तन पर शुल्क को पुनः संदाय करने के दायित्व से 30 (तीस) दिन की अवधि के लिए छूट मिल जाएगी ।
(7) कोलाचेल				
(8) कन्याकुमारी				

<sup>1</sup> अधिसूचना सं० 11 (2)/टी आर ए/ 1914 (सी) / 78, तारीख 1-5-1978, गजट आफ तमिलनाडु द्वारा जोड़ा गया ।

<sup>1</sup>[भाग 6—पांडिचेरी सरकार के नियंत्रण में के पत्तन  
(धारा 1 और धारा 33 देखिए)]

पत्तन का नाम	प्रभार्य जलयान	पत्तन शुल्क की दर	एक ही जलयान की बाबत शुल्क कितनी बार प्रभार्य है।
(1)	(2)	(3)	(4)
पांडिचेरी	40 घन मीटर और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान	(क) इस पत्तन पर आने वाले विदेशगामी पोत या चलत जलयान पर 15 पैसे प्रति घन मीटर (ख) इस पत्तन पर आने वाले तटीय चलत जलयान पर 15 पैसे प्रति घन मीटर (ग) इस पत्तन पर आने वाले तटीय चलत जलयान पर 5 पैसे प्रति घन मीटर	(क) पत्तन में प्रत्येक बार प्रवेश पर संदेय है। (ख) पत्तन पर शुल्क का संदाय करने से पोत को शुल्क का पुनः संदाय करने के दायित्व से साठ दिन की अवधि के लिए छूट मिल जाएगी। यथोक्त

(1) खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार पत्तन शुल्क का उद्ग्रहण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :—

(क) 1 जुलाई, 1978 से ही पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र में पत्तन में प्रवेश करने वाले उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट जलयानों पर उद्ग्रहीत की जाने वाली पत्तन शुल्क की दरें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में अधिकथित हैं ;

(ख) ऐसा शुल्क उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित शर्तों के अधीन उद्ग्रहीत किया जाएगा ;

(ग) पत्तन में प्रवेश करने वाले किसी ऐसे जलयान पर, जो भार से लदा है और यात्रियों का वहन नहीं कर रहा है, प्रभार्य पत्तन शुल्क की दर अनुसूची में अधिकथित दर की तीन चौथाई होगी ;

(घ) जब जलयान पत्तन में प्रवेश करता है किंतु वहां कोई स्थोरा या यात्री नहीं उतारता या लेता है ऐसी उतराई या पुनः लदाई के सिवाय जो मरम्मत के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है तब उस पर पत्तन शुल्क अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर की आधी दर से प्रभारित किया जाएगा, और

(ङ) निम्नलिखित पर कोई पत्तन शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कोई क्रीडा नौका ; या

(ii) कोई ऐसा जलयान, जो किसी पत्तन को छोड़ने के पश्चात् मौसम की खराबी के कारण या कोई नुकसान हो जाने के परिणामस्वरूप उसमें पुनः प्रवेश करने के लिए बाध्य हो जाता है ; या

(iii) कोई ऐसा जलयान जो किसी पत्तन में प्रवेश करने के पश्चात् वहां कोई यात्री या स्थोरा उतारे या लिए बिना अड़तालीस घंटे के भीतर उसे छोड़ देता है।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, “विदेशगामी पोत”, “तटीय पोत”, “चलत जलयान” और “पोत” के वही अर्थ होंगे जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्यांक 44) में हैं।]

<sup>1</sup> अधिसूचना सं० जी० ओ० एमएस० 70/78, तारीख 1-5-1978, गजट आफ पांडिचेरी द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>1</sup>भाग 7—केरल सरकार के नियंत्रण में के पत्तन

पत्तनों का नाम		प्रभार्य जलयान	पत्तन शुल्क की दर		एक ही जलयान की बाबत शुल्क कितनी बार प्रभार्य है
जिला	पत्तन	जलयान का वर्ग	पत्तन शुल्क की दर		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
त्रिवेंद्रम	1. कोवलंविमंजम	40 घन मीटर और उससे अधिक के सभी समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं से भिन्न)	(क) किसी पत्तन पर आने वाले विदेशी पोत या स्टीमर या तटीय स्टीमर	पत्तन शुल्क की दर 1.50 रुपए प्रति टन से अधिक नहीं	केरल के किसी लघु पत्तन में प्रवेश पर शुल्क का संदाय करने से स्टीमर को तीस दिन की अवधि के लिए और पोत को साठ दिन की अवधि के लिए उस पत्तन पर पुनः शुल्क का संदाय करने से छूट मिलेगी।
क्विलोन	3. क्विलोन				
एलेप्पी	4. नींदकारा				
	5. एलेप्पी।		(ख) तटीय जलयान	पचास पैसे प्रति टन से अधिक नहीं।	
त्रिचूर	6. अजिकोडे				
एर्नाकुलम	7. पोत्रीनी				
मालप्पुरम	8. कालीकट				
कोझीकोडे	(जिसके अंतर्गत वे पोत हैं)				
	9. वडागरा				
कन्नानोर	10. तेल्लीचेरी				
	11. कन्नानूर				
	12. अझिक्कल				
	13. कसरगोडे				

**टिप्पणी** :— (1) पत्तन शुल्क का निर्धारण करने में ऐसी तारीख जिसको जलयान लंगर डालता है, वह तारीख होगी जिससे शुल्क की संगणना की जाएगी।

(2) जलयानों की दशा में रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र जिसमें ब्रिटिश मानक टन में ही टनभार दर्शित हो, जिसकी 2.83 घनमीटर की मात्रा स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट पत्तन-शुल्क के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए एक टन के समतुल्य होगा और इस प्रकार टन को घन मीटर में संपरिवर्तित करने पर, उसके आधे से कम का लोप किया जाएगा और आधे और उससे अधिक को निकटतम घनमीटर तक पूर्णांकित किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण**—इस अनुसूची में—

(क) “पोत” से एकमात्र वायु-शक्ति द्वारा चालित जलयान अभिप्रेत है।

(ख) “स्टीमर” से पोत से भिन्न कोई जलयान अभिप्रेत है।

(ग) “तटीय पोत” या “तटीय स्टीमर” से क्रमशः कोई ऐसा पोत या स्टीमर अभिप्रेत है जो भारत में या बर्मा में या श्रीलंका द्वीप में किन्हीं पत्तनों से ही लाए हुए स्थोरा को उतारता है या वहां के लिए ही स्थोरा लेता है तथा “तटीय स्टीमर”

<sup>1</sup> अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० 373/78, तारीख 26-1-1978, गजट आफ केरल द्वारा जोड़ा गया।

के अंतर्गत सागर सीमाशुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का 8) की धारा 164 के अधीन साधारण पास वाला तटीय भाप-जलयान है।

(घ) “विदेशी पोत” या “विदेशी स्टीमर” से क्रमशः कोई ऐसा पोत या स्टीमर अभिप्रेत है जो तटीय पोत या तटीय स्टीमर नहीं है।]

<sup>1</sup>भाग 8—कर्नाटक सरकार के नियंत्रण में के पत्तन

पत्तन का नाम	प्रभार्य जलयान	पत्तन शुल्क की दर	एक ही जलयान की बाबत फीस कितनी बार प्रभार्य है।	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1. मेंगलूर	15 घन मीटर और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान	(क) पत्तन पर आने वाले विदेशी पोत या स्टीमर से अधिक नहीं	तीस पैसे प्रति घनमीटर से अधिक नहीं	पत्तन में प्रत्येक बार प्रवेश पर संदेय है।
		(ख) पत्तन पर आने वाले तटीय पोत	तीस पैसे प्रति घनमीटर से अधिक नहीं	शुल्क का पोत को संदाय करने से शुल्क का पत्तन पर पुनः संदाय करने के दायित्व से साठ दिन की अवधि के लिए छूट मिल जाएगी।
		(ग) पत्तन पर आने वाले तटीय स्टीमर	तीस पैसे प्रति घनमीटर से अधिक नहीं	शुल्क का स्टीमर को संदाय करने से पत्तन पर शुल्क का पुनः संदाय करने के दायित्व से 30 दिन की अवधि के लिए छूट मिल जाएगी।
2. मालपे	15 घन मीटर और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान	(क) पत्तन पर आने वाले विदेशी पोत या स्टीमर	तीस पैसे प्रति घनमीटर से अधिक नहीं	पत्तन में प्रत्येक बार प्रवेश पर संदेय है।
3. मंगरकट्टा				
4. कुंडापुर				
5. बेंदूर		(ख) एक से अधिक पत्तन पर आने वाले विदेशी पोत या स्टीमर	पैंतालीस पैसे प्रति घन मीटर से अधिक नहीं	समुद्र यात्रा के लिए एक बार संदेय है।
6. भतकल	15 घन मीटर और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान	(ग) किसी पत्तन पर आने वाले तटीय पोत	बीस पैसे प्रति घनमीटर से अधिक नहीं	शुल्क का पोत को संदाय करने से पत्तन पर शुल्क का पुनः संदाय करने के दायित्व से साठ दिन की अवधि के लिए छूट मिल जाएगी।
7. शिराली				
8. मुर्देश्वर				
9. होनावर/मन्की				
10. तादरी/गंगावली				
11. बेलेकेरी/अंकोला		(घ) किसी पत्तन पर आने वाले तटीय स्टीमर	चौबीस पैसे प्रति घनमीटर से अधिक नहीं	शुल्क का स्टीमर को संदाय करने से पत्तन पर शुल्क का पुनः संदाय करने के दायित्व से तीस दिन की अवधि के लिए छूट मिल जाएगी।
12. चेड़िया				
13. विनगा				
14. करवार				
15. मजाली				

<sup>1</sup> अधिसूचना सं० पी० डब्ल्यू० डी० 42 पी० एस० पी० 77, तारीख 29-4-1978, गजट आफ कर्नाटक (असाधारण), भाग 4-2 सी (ii)।

**स्पष्टीकरण 1—(क)** “पोत” से केवल पाल द्वारा नौचालन के लिए पर्याप्त पाल क्षेत्र सहित नौदित जलयान अभिप्रेत है चाहे वह नौदन के यांत्रिक-साधन से मुक्त हो या नहीं और इसके अन्तर्गत सैर नौका या डोंगी हैं ;

(ख) “स्टीमर” से पोत से भिन्न कोई जलयान अभिप्रेत है ;

(ग) “तटीय पोत” या “तटीय स्टीमर” से क्रमशः कोई ऐसा पोत या स्टीमर अभिप्रेत है जो भारत के किसी पत्तन से ही लाए हुए स्थोरा को उतारता है या वहां के लिए ही स्थोरा लेता है ;

(घ) “विदेशी पोत” या “विदेशी स्टीमर” से क्रमशः कोई ऐसा पोत या स्टीमर है जो तटीय पोत या तटीय स्टीमर नहीं है ;

(ङ) किसी पत्तन पर पहुंचने वाले अनुकर्षक जलयान को पत्तन-शुल्क के लिए प्रवेश करना चाहिए और पत्तन-शुल्क चुकाना चाहिए तथा निर्धारणीय होना चाहिए, अनुकर्षित नाव को स्थोरा माना जाएगा :

परंतु पत्तन-शुल्क के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए, जलयान को एक ही समुद्र यात्रा के दौरान तटीय पोत या स्टीमर और विदेशी पोत या स्टीमर दोनों नहीं समझा जाएगा ; किन्तु ऐसी समुद्र यात्रा की बाबत पत्तन-शुल्क ऐसे जलयानों पर तटीय पोत या स्टीमर के रूप में अथवा विदेशी पोत या स्टीमर के रूप में, दोनों में से जिसकी दर उच्चतर हो, उद्ग्रहीत होगा ।

**स्पष्टीकरण 2—**अनुसूची के स्तंभ (2) में, घनु कोष्ठकों में बन्द पत्तनों के बारे में यह माना जाएगा मानो वह एक ही पत्तन हो ; और प्रत्येक ऐसे जलयान को जिसकी बाबत ऐसा शुल्क प्रभारित किया गया है और जिसे कोष्ठकबद्ध पत्तनों में से किसी पत्तन को ले जाया जाए, अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी अन्य पत्तन में प्रवेश करने पर पत्तन के शुल्क के संदाय से छूट मिल जाएगी ।]

### <sup>1</sup>भाग 9—गोवा, दमण और दीव सरकार के नियन्त्रण में के पत्तन

पत्तन का नाम	प्रभार्य जलयान	पत्तन शुल्क की दर	एक ही जलयान की बाबत शुल्क कितनी बार प्रभार्य है ।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. दीव	(क) दस टन और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	एक रुपए पचास पैसे प्रति टन से अधिक नहीं ।	एक ही मास में एक बार
	(ख) यंत्र चालित अंतरदेशीय जलयान	—यथोक्त—	1 जनवरी से 31 मार्च के बीच एक बार, 1 अप्रैल से 30 जून के बीच एक बार, 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच एक बार और 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर के बीच एक बार ।
2. सिंवारे	(क) दस टन और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	—यथोक्त—	एक ही मास में एक बार ।
	(ख) यंत्र चालित अंतरदेशीय जलयान	—यथोक्त—	1 जनवरी से 31 मार्च के बीच एक बार, 1 अप्रैल से 30 जून के बीच एक बार, 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच एक बार और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच एक बार ।
3. दमण	(क) दस टन और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	—यथोक्त—	एक ही मास में एक बार ।

<sup>1</sup> अधिसूचना सं० 1/605/78/ आई पी डी, तारीख 1-5-1978, गोवा, दमण और दीव गजट द्वारा अंतःस्थापित ।

पत्तन का नाम	प्रभार्य जलयान	पत्तन शुल्क की दर	एक ही जलयान की बाबत शुल्क कितनी बार प्रभार्य है।
(1)	(2)	(3)	(4)
	(ख) यंत्र चालित अंतरदेशीय जलयान	—यथोक्त—	1 जनवरी से 31 मार्च के बीच एक बार, 1 अप्रैल से 30 जून के बीच एक बार, 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच एक बार, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच एक बार।
4. तिराकोल	(क) दस टन और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	—यथोक्त—	एक ही मास में एक बार।
	(ख) यंत्र चालित अंतरदेशीय जलयान	—यथोक्त—	1 जनवरी से 31 मार्च के बीच एक बार, 1 अप्रैल से 30 जून के बीच एक बार, 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच एक बार, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच एक बार।
5. चपौरा	(क) दस टन और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	एक रुपए पचास पैसे से अधिक नहीं	एक ही मास में एक बार।
	(ख) यंत्र चालित अंतरदेशीय जलयान	—यथोक्त—	1 जनवरी से 31 मार्च के बीच एक बार, 1 अप्रैल से 30 जून के बीच एक बार, 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच एक बार, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच एक बार।
6. पणजी	(क) दस टन और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	एक रुपए पचास पैसे से अधिक नहीं	एक ही मास में एक बार।
	(ख) यंत्र चालित अंतरदेशीय जलयान	—यथोक्त—	1 जनवरी से 31 मार्च के बीच एक बार, 1 अप्रैल से 30 जून के बीच एक बार, 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच एक बार, 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर के बीच एक बार।
7. तल्पोना	(क) दस टन और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	—यथोक्त—	एक ही मास में एक बार।
	(ख) यंत्र चालित अंतरदेशीय जलयान	—यथोक्त—	1 जनवरी से 31 मार्च के बीच एक बार, 1 अप्रैल से 30 जून के बीच एक बार, 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच एक बार और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच एक बार।

<sup>1</sup>भाग 10—महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण में के पत्तन

पत्तन का नाम और समूह जिसके अन्तर्गत वे आते हैं	प्रभार्य जलयान	पत्तन शुल्क की दर	एक ही जलयान की बाबत शुल्क कितनी बार प्रभार्य है।
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1. ब्रांदा पत्तन समूह</b>			
1. दहानु	(i) 5 टन और उससे अधिक के किन्तु दस टन से कम के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	पच्चीस पैसे प्रति मीटरी टन	उसी पत्तन पर तीस दिन में एक बार, परन्तु ऐसे किसी तटीय जलयान या शक्ति चालित तटीय जलयान पर जिसने किसी पत्तन-शुल्क का संदाय कर दिया है, उसी या उसी समूह के किसी अन्य पत्तन पर तीस दिन के भीतर पत्तन-शुल्क पुनः प्रभार्य नहीं होगी।
2. तारापुर			
3. नवपुर			
4. सतपती			
5. कलवा माहिम (जिसके अन्तर्गत केलवा है)			
6. आरनाल (जिसके अन्तर्गत दातीवारे है)	(ii) दस टन और उससे अधिक समुद्रगामी शक्ति चालित जलयानों से भिन्न जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	चालीस पैसे प्रति मीटरी टन	
7. बसई			
8. उत्तन	(iii) दस टन और उससे अधिक के शक्ति चालित समुद्रगामी जलयान	साठ पैसे प्रति मीटरी टन	
9. भिवंडी			
10. मनोरी			
11. कल्याण			
12. थाणे			
13. वैसवा			
14. बांद्रा			
<b>2. मौरा पत्तन समूह</b>			
1. ट्रांबे (जिसके अन्तर्गत माहूल है)	(i) 5 टन और उससे अधिक किन्तु दस टन से कम के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	पच्चीस पैसे प्रति मीटरी टन	उसी पत्तन पर तीस दिन में एक बार ; परन्तु ऐसे किसी तटीय जलयान या शक्ति चालित तटीय जलयान पर जिसने किसी पत्तन पर पत्तन-शुल्क का संदाय कर दिया है, उसी या उसी समूह के किसी अन्य पत्तन पर तीस दिन के भीतर पत्तन-फीस पुनः प्रभार्य नहीं होगी।
2. पनवेल (उल्लवा और बेलापुर)	(ii) दस टन और उससे अधिक के शक्ति चालित समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	चालीस पैसे प्रति मीटर टन	
3. मीरा			
4. कंरजा			
5. मांडवा	(iii) दस टन और उससे अधिक के शक्ति चालित समुद्रगामी जलयान।	साठ पैसे प्रति मीटरी टन	
6. थाल (खोल)			
7. अलीबाग (जिसके अन्तर्गत धरमताड़ है)			

<sup>1</sup> अधिसूचना सं० आई पी ए 1077/264/36- टी आर, महाराष्ट्र का राजपत्र, तारीख 21-3-1978 द्वारा अंतःस्थापित।



(1)	(2)	(3)	(4)
<b>3. राजपुरी पत्तन समूह</b>			
1. रेवडांड	(i) 5 टन और उससे अधिक के किन्तु दस टन से कम के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	पच्चीस पैसे प्रति मीटरी टन	उसी पत्तन पर तीस दिन में एक बार ; परन्तु किसी तटीय जलयान या शक्ति चालित तटीय जलयान पर जिसने किसी पत्तन पर शुल्क का संदाय, कर दिया है, उसी या उसी समूह के किसी अन्य पत्तन पर तीस दिन के भीतर पत्तन-शुल्क पुनः प्रभार्य नहीं होगा।
2. बोली मंडल			
3. नंद गाव			
4. मुरुद (जौ)	(ii) दस टन और उससे अधिक के शक्ति चालित समुद्रगामी जलयानों से भिन्न समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	चालीस पैसे प्रति मीटरी टन	
5. राजपुरी			
6. मंदाद			
7. कुम्भार			
8. श्री बर्द्धन	(iii) दस टन और उससे अधिक के शक्ति चालित समुद्रगामी जलयान।	साठ पैसे प्रति मीटरी टन	
9. बनकोट			
<b>4. रत्नागिरी पत्तन समूह</b>			
1. केलशी	(i) 5 टन और उससे अधिक के किन्तु दस टन से कम के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	पच्चीस पैसे प्रति मीटरी टन	उसी पत्तन पर तीस दिन में एक बार ; परन्तु किसी तटीय जलयान या शक्ति चालित तटीय जलयान पर जिसने किसी पत्तन पर पत्तन-शुल्क का संदाय कर दिया है, उसी या उसी समूह के किसी अन्य पत्तन पर तीस दिन के भीतर पत्तन-शुल्क पुनः प्रभार्य नहीं होगा।
2. हरनाई			
3. डमोल			
4. पालशेर			
5. बोर्था	(ii) दस टन और उससे अधिक के शक्ति चालित समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	चालीस पैसे प्रति मीटरी टन	
6. जयगढ़			
7. वरोदा (तिवारी)			
8. रत्नागिरी	(iii) दस टन और उससे अधिक के शक्ति चालित समुद्रगामी जलयान	साठ पैसे प्रति मीटरी टन	
9. पूरनगढ़			
<b>5. विजयदुर्ग पत्तन समूह</b>			
1. जैतपुर	(i) 5 टन और उससे अधिक के किन्तु दस टन से कम के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	पच्चीस पैसे प्रति मीटरी टन	उसी पत्तन पर तीस दिन में एक बार ; परन्तु किसी तटीय जलयान या शक्ति चालित तटीय जलयान पर जिसने किसी पत्तन पर पत्तन-शुल्क का संदाय कर दिया है, उसी या उसी समूह के किसी अन्य पत्तन पर तीस दिन के भीतर पत्तन-शुल्क पुनः प्रभार्य नहीं होगा।
2. विजयदुर्ग			
3. देवगढ़			
4. अचरा	(ii) दस टन और उससे अधिक के शक्ति चालित समुद्रगामी जलयानों से भिन्न समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	चालीस पैसे प्रति मीटरी टन	
	(iii) दस टन और उससे अधिक के शक्ति चालित समुद्रगामी जलयान	साठ पैसे प्रति मीटरी टन	
<b>6. वेनगुर्ला पत्तन समूह</b>			
1. मालवन	(i) 5 टन और उससे अधिक के किन्तु 10 टन से कम के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	पच्चीस पैसे प्रति मीटरी टन	उसी पत्तन पर तीस दिन में एक बार ; परन्तु किसी तटीय जलयान या शक्ति चालित तटीय जलयान पर जिसने किसी पत्तन पर पत्तन-
2. निवती			
3. वेनगुर्ला			

(1)	(2)	(3)	(4)
4. रेडी	(ii) दस टन और उससे अधिक के शक्ति चालित समुद्रगामी जलयानों से भिन्न समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सिवाय)	चालीस पैसे प्रति मीटरी टन	शुल्क का संदाय कर दिया है, उसी या उसी समूह के किसी अन्य पत्तन पर तीस दिन के भीतर पत्तन-शुल्क पुनः प्रभार्य नहीं होगा।]
5. किरनपानी	(iii) दस टन और उससे अधिक के शक्ति चालित समुद्रगामी जलयान	साठ पैसे प्रति मीटरी टन	

<sup>1</sup>भाग 11—गुजरात सरकार के नियंत्रण में के पत्तन

पत्तन का नाम	प्रभार्य जलयान	इसके स्पष्टीकरण के अधीन रहते हुए प्रभार्य पत्तन शुल्क की अधिकतम दर	एक ही जलयान की बाबत शुल्क कितनी बार प्रभार्य
(1)	(2)	(3)	(4)

**1. भड़ोच पत्तन समूह :**

(1) उमरगांव	(1) विदेशी पोत	1.00 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार
(2) मरौली			
(3) कोलक	(2) तटीय जलयान	0.50 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
(4) उमरसादी			
(5) बलसाड़			
(6) बिल्लीमोरा			
(7) बंसी-बोर्सि	(3) चलत जलयान	0.35 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
(8) ओंजल			
(9) सूरत (मगदालिया)			
(10) भगवा	(4) टग, फेरी और नदी पोत	0.60 रु० प्रति टन	एक वर्ष में दो बार, अर्थात् 1 जनवरी से 30 जून के बीच एक बार और 1 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच एक बार।
(11) भड़ौच			
(12) देहेज			
(13) खंभात			
	(5) विदेशी पोत जो उप पोत में यानांतरण के लिए स्थोरा लाते हैं	2.50 रु० प्रति टन।	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार।
	(6) ऐसा उप पोत जो भार से लदा हो और जिसमें टैंकरों से स्थोरा लाया गया हो और जो गुजरात राज्य पत्तनों से भिन्न पत्तनों के लिए जा रहा हो	1.00 रु० प्रति टन	—यथोक्त—

**2. भावनगर पत्तन समूह :**

(1) भावनगर	(1) विदेशी पोत	1.00 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार।
------------	----------------	-------------------	---

<sup>1</sup> अधिसूचना सं० जी०/जे०/16/आई० पी० ए०/1077/95-एम, तारीख 1-5-1978, गुजरात का राजपत्र, आसाधारण, भाग 4क।

(1)	(2)	(3)	(4)
(2) गोधा			
(3) तलाजा	(2) तटीय पोत	0.50 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
	(3) चलत जलयान	0.35 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
	(4) टग, फेरी और नदी पोत	0.60 रु० प्रति टन	एक वर्ष में दो बार, अर्थात् 1 जनवरी से 30 जून के बीच एक बार और 1 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच एक बार।
	(5) विदेशी पोत जो उप पोत में यानांतरण के लिए स्थोरा लाते हैं	2.50 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार।
	(6) ऐसा उप पोत जो भार से लदा हो और जिसमें टैंकरों से स्थोरा लादा गया हो और जो गुजरात राज्य पत्तनों से भिन्न पत्तनों के लिए जा रहा हो।	1.00 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
<b>3. महुवा पत्तन समूह :</b>			
(1) महुवा	(1) विदेशी पोत	1.00 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार।
(2) पिपाब बंदर	(2) तटीय पोत	0.50 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
(3) जाफराबाद			
(4) राजपारा	(3) चलत जलयान	0.35 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
	(4) टग, फेरी और नदी पोत	0.60 रु० प्रति टन	एक वर्ष में दो बार, अर्थात् 1 जनवरी से 30 जून के बीच एक बार और 1 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच एक बार।
	(5) विदेशी पोत जो उस पोत में यानांतरण के लिए स्थोरा लाते हैं	2.50 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार।
	(6) सेवा उप पोत जो भार से लदा हो और जिसमें टैंकरों से स्थोरा लादा गया हो और जो गुजरात राज्य से भिन्न पत्तनों के लिए जा रहा हो।	1.00 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
<b>4. वैरावल पत्तन समूह :</b>			
(1) नवाबंदर	(1) विदेशी पोत	1.00 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार।
(2) मधवा			
(3) कोटदा	(2) तटीय पोत	0.50 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
(4) वैरावल			
(5) मंगरौल	(3) चलत जलयान	0.35 रु० प्रति टन	—यथोक्त—

(1)	(2)	(3)	(4)
	(4) टग, फेरी और नदी पोत	0.60 रु० प्रति टन	एक वर्ष में दो बार, अर्थात् 1 जनवरी से 30 जून तक एक बार और 1 जुलाई से 31 दिसम्बर तक एक बार।
	(5) विदेशी पोत जो उप पोतों में यानांतरण के लिए स्थौरा लाते हैं।	2.50 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार।
	(6) ऐसा उप पोत जो भार से लदा हो और जिसमें टैंकरों से स्थौरा लादा गया हो और जो गुजरात राज्य पत्तनों से भिन्न पत्तनों के लिए जा रहा हो।	1.00 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
<b>5. पोरबंदर पत्तन समूह :</b>			
(1) पोरबंदर	(1) विदेशी पोत	1.00 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार।
	(2) तटीय पोत	0.50 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
	(3) चलत जलयान	0.35 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
	(4) टग, फेरी और नदी पोत	0.60 रु० प्रति टन	एक वर्ष में दो बार, अर्थात् 1 जनवरी से 30 जून के बीच एक बार और 1 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच एक बार।
	(5) विदेशी पोत जो उप पोत में यानांतरण के लिए स्थौरा लाते हैं।	2.50 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार।
	(6) ऐसा उप पोत जो भार से लदा हो और जिसमें टैंकरों से स्थौरा लादा गया हो और जो गुजरात राज्य पत्तनों से भिन्न पत्तनों के लिए जा रहा हो।	1.00 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
<b>6. ओखा पत्तन समूह :</b>			
(1) द्वारका (रूपेन)	(1) विदेशी पोत	1.00 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार।
(2) ओखा	(2) तटीय पोत	0.50 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
(3) बैट	(3) चलत जलयान	0.35 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
	(4) टग, फेरी और नदी पोत	0.60 रु० प्रति टन	एक वर्ष में दो बार, अर्थात् 1 जनवरी से 30 जून के बीच एक बार और 1 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच एक बार।
	(5) विदेशी पोत जो उप पोत में यानांतरण के लिए स्थौरा लाते हैं।	2.50 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार।
	(6) ऐसा उप पोत जो भार से लदा हो और जिसमें टैंकरों से स्थौरा लादा गया हो और जो गुजरात राज्य पत्तनों से भिन्न पत्तनों के लिए जा रहा हो।	1.00 रु० प्रति टन	—यथोक्त—

(1)	(2)	(3)	(4)
<b>7. बेदी पत्तन समूह :</b>			
(1) पिंढारा	(1) विदेशी पोत	1.00 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार ।
(2) सलाया	(2) तटीय पोत	0.50 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
(3) सिक्का			
(4) बेदी (जिसके अन्तर्गत रोजी है)	(3) चलत जलयान	0.35 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
	(4) टग, फेरी और नदी पोत	0.60 रु० प्रति टन	एक वर्ष में दो बार, अर्थात् 1 जनवरी से 30 जून के बीच एक बार और 1 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच एक बार ।
(5) जोदिया	(5) विदेशी पोत जो उप पोत में यानांतरण के लिए स्थौरा लाते हैं ।	2.50 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार ।
	(6) ऐसा उप पोत जो भार से लदा हो और जिसमें टैंकरों से स्थौरा लादा गया हो और जो गुजरात राज्य पत्तनों से भिन्न पत्तनों के लिए जा रहा हो ।	1.00 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
<b>8. नवलाखी पत्तन समूह :</b>			
(1) नवलाखी	(1) विदेशी पोत	1.00 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार ।
	(2) तटीय पोत	0.50 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
	(3) चलत जलयान	0.35 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
	(4) टग, फेरी और नदी पोत	0.60 रु० प्रति टन	एक वर्ष में दो बार, अर्थात् 1 जनवरी से 30 जून के बीच एक बार और 1 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच एक बार ।
	(5) विदेशी पोत जो उप पोत में यानांतरण के लिए स्थौरा लाते हैं ।	2.50 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार ।
	(6) ऐसा उप पोत जो भार से लदा हो और जिसमें टैंकरों से स्थौरा लादा गया हो और जो गुजरात राज्य पत्तनों से भिन्न पत्तनों के लिए जा रहा हो ।	1.00 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
<b>9. मांडवी पत्तन समूह</b>			
(1) मुंद्रा	(1) विदेशी पोत	1.00 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार ।
(2) मांडवी	(2) तटीय पोत	0.50 रु० प्रति टन	—यथोक्त—
(3) जखाऊ	(3) चलत जलयान	0.35 रु० प्रति टन	—यथोक्त—

(1)	(2)	(3)	(4)
(4) कोटेश्वर	(4) टग, फेरी और नदी पोत	0.60 रु० प्रति टन	एक वर्ष में दो बार, अर्थात् 1 जनवरी से 30 जून के बीच एक बार और 1 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच एक बार।
	(5) विदेशी पोत जो उप पोत में यानांतरण के लिए स्थौरा लाते हैं।	2.50 रु० प्रति टन	प्रत्येक जलयान की दशा में तीस दिन में एक बार।
	(6) ऐसा उप पोत जो भार से लदा हो और जिसमें टैंकरों से स्थौरा लादा गया हो और जो गुजरात राज्य पत्तनों से भिन्न पत्तनों के लिए जा रहा हो।	1.00 रु० प्रति टन	—यथोक्त—

### प्रथम अनुसूची के भाग 11 के स्पष्टीकरण

**स्पष्टीकरण 1—**(क) अनुसूची के स्तंभ (1) में नौ समूहों में प्रत्येक समूह के अधीन दर्शित पत्तनों के बारे में यह माना जाएगा मानो वे एक ही पत्तन हों। किसी समूह में पहले पत्तन पर शुल्क का संदाय करने पर अनुसूची के स्तंभ (4) में दर्शित अवधि के लिए जलयान को उस पत्तन या उसी समूह में किसी अन्य पत्तन पर पुनः प्रवेश करने या प्रवेश करने पर शुल्क का पुनः संदाय करने के दायित्व से छूट मिल जाएगी।

(ख) दस टन से कम के किसी पोत या मछली पकड़ने वाली नौका की बाबत कोई पत्तन-शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।

(ग) रस्सी से खींचकर बंदरगाह में लाए जाने वाले करस्थम् किए गए किसी ऐसे जलयान पर जिसके फलक पर कोई स्थौरा नहीं है, तीन चौथाई पत्तन-शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

(घ) किसी ऐसे तटीय पोत पर जो पत्तन में प्रवेश करता है, कोयला लाता है या नमक ले जाता है, उस दर के जिस पर वह अन्यथा प्रभार्य होता, दस प्रतिशत कम पर पत्तन-शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण 2—**(क) प्रभार की संगणना के प्रयोजन के लिए शुद्ध टन भार अवधारित करने में, आधा टन या उससे अधिक भाग को एक गिना जाएगा और आधा टन या उससे कम को छोड़ दिया जाएगा।

(ख) तीस दिन की अवधि की गणना पत्तन में जलयान के प्रवेश की तारीख से की जाएगी।

(ग) “जलयान” के अन्तर्गत कोई पोत, नौका, चलत जलयान और नौचालन में प्रयुक्त अन्य प्रकार का जलयान है।

(घ) “चलत जलयान” से केवल पाल द्वारा नौचालन के लिए पर्याप्त पालक्षेत्र सहित नोदित जलयान है चाहे वह नोदन के यांत्रिक साधन से युक्त हो या नहीं और इसके अंतर्गत सैर नौका या डोंगी है किन्तु इसके अंतर्गत क्रीडा नाव नहीं है।

(ङ) “पोत” के अन्तर्गत चलत जलयान नहीं है।

(च) “तटीय पोत” से ऐसा पोत अभिप्रेत है जो गुजरात में किसी पत्तन पर भारत गणराज्य के किसी पत्तन से ही लाए हुए स्थौरा को उतारता है या वहां के लिए ही स्थौरा लेता है और विदेशी व्यापार में नहीं लगा हुआ है।

(छ) “विदेशी पोत” से ऐसा पोत अभिप्रेत है जो तटीय पोत नहीं है।

**स्पष्टीकरण 3—**यदि कोई जलयान अपनी यात्रा के अनुक्रम में या पत्तन में रुकने के दौरान अपना स्वरूप तटीय पोत से विदेशी पोत में या विदेशी पोत से तटीय पोत में परिवर्तित करता है, तो उस पर विदेशी पोत की बाबत उद्ग्रहणीय दर पर पत्तन-शुल्क प्रभार्य होगा।

**स्पष्टीकरण 4—**(क) ऐसा जलयान जो पत्तन में प्रवेश करता है और अपने स्वयं के उपभोग के लिए रसद, जल, बंकर कोयला, द्रव ईंधन लेता है, पत्तन-शुल्क की उस दशा के जिस पर वह अन्यथा प्रभार्य होता आधी दर पर प्रभार्य होगा।

(ख) ऐसा जलयान जिसने उपरोक्त खंड (क) के अधीन आधे पत्तन-शुल्क का संदाय कर दिया है, और जो पत्तन में अपने पूर्व प्रवेश की तारीख के तीस दिन के भीतर उसी पत्तन पर स्थौरा या यात्री या दोनों के साथ पुनः प्रवेश करता है, पहले संदत्त शुल्क और पूरी दर पर संदेय शुल्क के बीच के अन्तर से प्रभारित किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण 5**—जब ऐसा जलयान जिसे गुजरात सरकार के लोक निर्माण विभाग की अधिसूचना सं० जी/जे/48/75- आई० पी० ए-2975-एम, तारीख 5 दिसम्बर, 1975 के अधीन उद्ग्रहणीय पत्तन-शुल्क से प्रभारित किया गया है, पत्तन पर अपने पूर्व प्रवेश की तारीख से तीस दिन के भीतर उसी पत्तन पर स्थौरा या यात्रियों के साथ या किसी अन्य प्रयोजन के लिए पुनः प्रवेश करता है, जब वह पहले संदत्त शुल्क और उस शुल्क के, जिससे वह अन्यथा प्रभार्य होता, बीच के अन्तर से प्रभारित किया जाएगा।]

द्वितीय अनुसूची—[अधिनियमिति निरसित।]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित।

---